



वस्तु एवं सेवा कर  
हिन्दी  
सी.ए. सुधीर हालाखंडी

VOL- 1

वस्तु एवं सेवा कर

DO NOT COPY

जी.एस.टी.- सी.ए . सुधीर हालाखंडी 1



# गुड्स एवं सर्विस्टैक्स

## अनुक्रमणिका

क्र.सं.	अध्याय	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	1	क्या है जी.एस.टी.	4
2.	2	जी.एस.टी.एवं दो राज्यों के बीच व्यापार	7
3.	3	IGST- इंटीग्रेटेड गुड्स एवं सेवा कर कर की दर	9
4.	4		11
5.	5	जी.एस.टी – रिटर्न	15
6.	6	जी.एस.टी. – कम्पोजीशन स्कीम	20
7.	7	कर निर्धारण – दोहरा नियंत्रण	26
8.	8.	ई-वे बिल (रोड परमिट )	30
9.	9.	प्रारम्भिक क्रेडिट (अंतिमस्टॉक)	35
10.	10.	जी.एस.टी. -सामयिक सवाल	43
<b>ANNEXURES</b>			
1.	1.	आई.जी.एस.टी. – उदाहरण	51
2.	2.	विभिन्न रिटर्न की अंतिम तिथी	58
3.	3.	लेखक के बारे में	59

# गुड्स एवं सर्विस टैक्स

सी.ए. सुधीर हालाखंडी



आइये समझे जी.एस.टी. को



GST –E-BOOK –HINDI

सी.ए. सुधीर हालाखंडी

राजस्थान

sudhrhalakhandi@gmail.com

sudhir@halakhandi.com

जी.एस.टी.- सी.ए . सुधीर हालाखंडी 3

## अध्याय -1 - क्या है जी.एस.टी.

सरकार अब एक जुलाई 2017 से जी.एस.टी. लागू करने वाली है इसलिए सरल हिन्दी भाषा में आपको जी.एस.टी. की प्रारम्भिक जानकारी व्यापार एवं उद्योग को देने के लिए एक ई - बुक जी.एस.टी. जारी कर रहे हैं इसे आप पढ़कर समझने की कोशिश करें कि आने वाले समय में आपको किस प्रकार से जी.एस.टी. कानून का पालन करना है और किस तरह यह आपके उद्योग एवं व्यापार को प्रभावित करेगा ।

जी.एस.टी. के दौरान आपको प्रारम्भिक रूप से यह देखना है कि अब आपको एक ही बिक्री/सप्लाई पर दो करों को एकत्र करना है और इस कानून का पालन यह माल एवं सेवाओं को मिलाते हुए करना है । ये दो कर निम्न प्रकार होंगे :-

- (1) . राज्य का जी.एस.टी.
- (2) केंद्र का जी.एस.टी.

इन्हें इस कानून के तहत एवं इस पुस्तक में भी आगे एस.जी.एस.टी. और सी.जी.एस.टी. के रूप में जाना जाएगा ।

जी.एस.टी. के दौरान कर बिक्री पर नहीं बल्कि सप्लाई पर लगेगा और इससे क्या फर्क पड़ेगा इसे हम आगे के भागों में समझेंगे ।

अभी आप जी.एस.टी. का प्रारम्भिक स्वरूप समझने का प्रयास करें ।

आइये इसे एक उदाहरण के जरिये समझने की कोशिश करें

जयपुर (राजस्थान ) का एक व्यापारी "अ" जयपुर के ही एक दूसरे व्यापारी "ब" को कोई माल 10 लाख रुपये में बेचता है और मान लीजिये कि

राज्यों के जी.एस.टी. की दर 8 प्रतिशत है एवं केंद्र के जी.एस.टी. की दर 10 प्रतिशत रहती है इस प्रकार जी.एस.टी. की कुल दर 18 प्रतिशत हुई (फिलहाल मान लीजिये ) तो "अ" इस व्यवहार में 80000.00 रुपये एस.जी.एस.टी. (राज्य का जी.एस.टी.) एवं 1.00 लाख रुपये सी.जी.एस.टी. (केंद्र का जी.एस.टी.) के रूप में अपने खरीदार "ब" से वसूल करेगा .

आइये इस सौदे का दूसरा भाग देखें

आइये अब इस व्यवहार को और भी आगे ले जाएँ और देखें कि इसी माल को जयपुर का "ब" नामक व्यापारी अब राजस्थान के ही अन्य शहर जोधपुर के किसी अन्य व्यापारी "स" को 10.50 लाख रुपये में बेचता है तो वह 84000.00रुपये एस.जी.एस.टी. एवं 1.05 लाख रुपये सी.जी.एस.टी. के रूप में वसूल करेगा .

राज्य और केंद्र सरकार को राजस्व के रूप में क्या मिलेगा

यहाँ ध्यान रखे कि "ब" पहले से ही एस.जी.एस.टी. के रूप में अपना माल खरीदते हुए 80000.00 रुपये का भुगतान कर चुका है एवं सी.जी.एस.टी. के रूप में 1.00 लाख रुपये का भुगतान इसी प्रकार कर चुका है एवं इस प्रकार "ब" की इनपुट क्रेडिट एस.जी.एस.टी. के रूप में 80000.00 रुपये है एवं सी.जी.एस.टी. के रूप में इनपुट क्रेडिट 1.00 लाख रुपये है जिसे वह अपने द्वारा "स" से वसूल किये गए कर में घटा कर जमा करा देगा .

इस प्रकार "ब" एस.जी.एस.टी. के रूप में (रुपये 84000.00 - रुपये 80000.00 ) 4000.00 रुपये का भुगतान राज्य के खजाने में जमा कराएगा एवं इसी प्रकार से सी.जी.एस.टी. (रुपये 1.05लाख - रुपये 1.00 लाख ) 5000.00 रुपये केन्द्रीय सरकार के खजाने में जमा कराएगा .

इस पूरे व्यवहार को देखे तो इससे केंद्र सरकार को 1.05 लाख रुपये का कर मिलेगा और और राज्य सरकार को 84000.00 रुपया कर को मिलेगा.

## क्या राज्य के भीतर ही बिक्री होने पर भी राज्य और केंद्र दोनों का कर देना होगा

यहाँ यह ध्यान रखें कि राज्य के भीतर माल का वितरण या बिक्री करने पर भी केंद्र और राज्य दोनों को कर देना होगा और अब से सभी डीलर्स (कम्पोजीशन डीलर्स को छोड़कर) एक ही बिल में "दो कर" जैसा कि ऊपर बताया गया है एक ही बिल में लगाएगा और यह तथ्य कि एक ही बिल में अब डीलर्स को दो टैक्स लगाने होंगे जो की फिलहाल आपके लिए एक आश्वर्यचकित करने वाला तथ्य हो सकता है . लेकिन आप अब समझ ही लें कि यही जी.एस.टी. है .

जी.एस.टी. जैसा कि ऊपर बताया गया है उसी तरह से लगेगा और इसके साथ ही राज्यों में लगने वाला वेट और केंद्र में लगने वाला केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अर्थात् सेंट्रल एक्साइज भी समाप्त हो जाएगा . इसके अतिरिक्त भी राज्यों एवं केंद्र के लगने वाले कुछ अन्य कर भी समाप्त हो जायेंगे जिनमें केन्द्रीय बिक्री कर अर्थात् सेंट्रल एक्साइज , सर्विस टैक्स इत्यादि भी शामिल है .

यह जी.एस.टी. का प्रारम्भिक स्वरूप है और चूँकि आप इसका पहला भाग पढ़ रहे हैं इसलिए यह आपको थोड़ा समझने में तकलीफ दे सकता है लेकिन आप इसे अच्छी तरह से पढ़े और समझे क्यों कि एक जुलाई 2017 (या जैसी कुछ संभावनाएं व्यक्त की जा रही है 1 सितम्बर 2017) से आपको ही इसका पालन करना है . इसे पढ़ने और समझने इसका पालन करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है .

\*

## अध्याय -2

### जी.एस.टी. और दो राज्यों के बीच का व्यापार (अंतरप्रांतीय बिक्री- Interstate Sale )

जी.एस.टी. के दौरान सी.एस.टी. अर्थात केन्द्रीय बिक्री कर का कोई अस्तित्व नहीं होगा ।

आइये अब हम समझाने की कोशिश करें कि केन्द्रीय बिक्री कर क्या है और यह वेट एवं इसके बाद जी.एस.टी. की राह में क्यों एक बाधा माना जाता रहा है । वर्तमान में केन्द्रीय बिक्री कर निर्माता राज्यों के राजस्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा है ।

जब वर्ष 2006 में राज्यों में वेट लागू किया गया था तब केन्द्रीय बिक्री कर अर्थात सी.एस.टी. को सबसे बड़ी बाधा माना गया था और यह वादा किया गया था कि प्रत्येक वर्ष एक प्रतिशत से इस दर को गिराकर अंत में

इस कर को समाप्त कर दिया जाएगा लेकिन यह वादा पूरा नहीं किया गया और आज भी यह दर दो प्रतिशत पर कायम है और इसके साथ ही केन्द्रीय बिक्री कर पर एकत्र किये जाने वाले सी- फॉर्म की समस्या से पूरा ही व्यापार एवं उद्योग जगत परेशान है ।

आइये पहले समझ ले कि केन्द्रीय बिक्री कर क्या है क्यों कि आम तौर पर इसका नाम यह संकेत देता है कि यह केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया

एक कर है जब कि सञ्चार्द्ध यह है कि यह बिक्री करने वाले राज्य द्वारा दो राज्यों के मध्य होने वाले व्यापार पर वसूल किया जाने वाला कर है और देश के विकसित राज्य जिन्हें हम निर्माता राज्य भी कह सकते हैं इस कर से काफी राजस्व एकत्र करते हैं .

जी.एस.टी. एक अंतिम बिंदु पर अंतिम उपभोक्ता पर लगने वाला कर है अतः केन्द्रीय बिक्री कर का इसमें कोई स्थान नहीं होगा और इससे विकसित राज्यों अर्थात् बिक्री करने वाले राज्यों के राजस्व पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा जिसके बारे में भी केंद्र को इन राज्यों को राजस्व हानि की भरपाई करनी पड़ेगी .

जी.एस.टी. के दौरान केन्द्रीय बिक्री कर अर्थात् सी.एस.टी. की समाप्ति सारे देश के डीलर्स को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है लेकिन इसी प्रकार की बिक्री पर आगे एक और कर प्रणाली के तहकि त कर लगने वाला है जो कि आई.जी.एस.टी.- integrated Goods and Service Tax के नाम से लगने वाली है वह अब अंतर्राजीय व्यापार के दौरान बिक्री/सप्लाई डीलर्स को पालन करनी होगी .

अंतर्राजीय बिक्री के दौरान C-forms की जरूरत तो समाप्त हो जायेगी लेकिन ऐसा को आश्वासन हमारे कानून निर्माता रोड परमिट के बारे में नहीं दे रहे हैं और जिस प्रकार के संकट मिल रहे हैं उनके अनुसार रोड परमिट जारी रहेंगे और अब इनका स्वरूप ई-वे बिल Electronic Way bill के रूप में होगा जिसका अध्ययन हम आगे के अध्याय में करेंगे .

इसके अतिरिक्त जी.एस.टी.बिक्री पर नहीं बल्कि सप्लाई पर लगेगा इस प्रकार ब्रांच और डिपो ट्रान्सफर भी कर के दायरे में आ जायेंगे और माल बेचने और बिक्री के लिए भेजने के बीच का अंतर समाप्त हो जाएगा . इस प्रकार सी-फॉर्म (C-form) की तरह ही एफ -फॉर्म (F-form) भी समाप्त हो जायेंगे .

\*\*

### अध्याय - 3

#### IGST- इंटीग्रेटेड गुड्स एवं सर्विस टैक्स

आइये अब देखे कि दो राज्यों के बीच होने वाले व्यापार को आई.जी.एस.टी.- “इंटीग्रेटेड गुड्स एवं सर्विस टैक्स” के जरिये किस तरह नियंत्रित किया जाएगा :-

दो राज्यों के मध्य होने वाले व्यापार पर निगरानी रखने या जी.एस.टी. के इस प्रकार की बिक्री के लिए एक आई.जी.एस.टी. मॉडल भी तैयार कर किया गया है जिसकी चर्चा हम इस अध्याय में कर रहे हैं.

लेकिन यह ध्यान रखे कि यह केन्द्रीय बिक्री कर के स्थान पर लगने वाला कोई नया कर (एस.जी.एस.टी. एवं सी.जी.एस.टी. के अतिरिक्त तीसरा कर) नहीं है बल्कि एक ऐसा तंत्र है जिसके जरिये दो राज्यों के बीच हुए व्यापार पर नजर रखी जा सके एवं यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि कर का एक हिस्सा उस राज्य को मिले जहाँ अंतिम उपभोक्ता निवास करता है और दूसरा हिस्सा केंद्र सरकार को .

जी.एस.टी. के तहत सूचना तकनीकी की सहायता से एक ऐसा तंत्र विकसित किया जाएगा जिससे दो राज्यों के मध्य माल एवं सेवा के अंतरप्रांतीय व्यापार पर निगरानी भी रखी जा सके एवं यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि “कर” का एक भाग को कि राज्यों को जाना है वह अंतिम उपभोक्ता के राज्य को ही मिले .

यहाँ ऊपर पहले ही यह बताया जा चुका है कि यह केन्द्रीय बिक्री कर की जगह लगने वाला कोई नया कर नहीं है लेकिन यह “आई.जी.एस.टी.” भी उद्योग एवं व्यापार के लिए प्रक्रियात्मक उलझाने तो बढ़ाने वाला ही है ।

आइये देखे कि यह आई.जी.एस.टी. मॉडल किस तरह से काम करेगा :-

(i). अंतरप्रांतीय व्यापर के दौरान बिक्री करने वाला डीलर अपने खरीददार से आई.जी.एस.टी. के रूप में एक कर एकत्र कर केन्द्रीय सरकार के खजाने में जमा कराएगा.

इस कर की दर एस.जी.एस.टी. एवं सी.जी.एस.टी. की दर को मिलाकर बनेगी. उदाहरण के लिए मान लीजिये कि एस.जी.एस.टी. की दर 8 प्रतिशत है एवं सी.जी.एस.टी. की दर भी 10 प्रतिशत है तो आई.जी.एस.टी. के रूप में जमा कराया जाने वाला कर 18 प्रतिशत की दर से केंद्र सरकार के खजाने में जमा कराया जाएगा.

(ii). अपना आई.जी.एस.टी. जमा कराते समय विक्रेता अपने द्वारा इस माल ,को जो कि उसने अंतरप्रांतीय बिक्री के दौरान बेचा है, की खरीद पर चुकाए गये एस.जी.एस.टी. एवं सी.जी.एस.टी. की इनपुट क्रेडिट लेगा.

(iii) . विक्रेता का राज्य इस बिक्री किये गए माल के सम्बन्ध में विक्रेता ने जो विक्रेता राज्य में भुगतान किये गए एस.जी.एस.टी.की क्रेडिट ली है उतनी राशि केंद्र सरकार के खजाने में हस्तांतरित कर देगा.

(iv). अंतरप्रांतीय बिक्री के दौरान खरीद करने वाला क्रेता, जब भी यह माल बेचेगा तो अपनी आई.जी.एस.टी की इनपुट क्रेडिट क्रमशः आई.जी.एस.टी. , सी.जी.एस.टी. या एस.जी.एस.टी. (इसी क्रम में ) के भुगतान की जिम्मेदारी में से लेने का हक्क होगा .

(v) . जितनी राशि की इनपुट क्रेडिट अपनी एस.जी.एस.टी. चुकाते समय उपभोक्ता राज्य का व्यापारी आई.जी.एस.टी. में से लेगा उतनी रकम केंद्र उपभोक्ता राज्य के खाते में हस्तांतरित कर देगा इस तरह आई.जी.एस.टी. की इनपुट क्रेडिट क्रेता आई.जी.एस.टी. की भुगतान की जिम्मेदारी में से ले सकता है और ऐसी कोई जिम्मेदारी खरीददार की नहीं है तो इसका इनपुट सी.जी.एस.टी. की जिम्मेदारी में से लेगा और उसके बाद भी आई.जी.एस.टी. की क्रेडिट बच जाती है तो उसे एस.जी.एस.टी. के

**तहत भी लिया जा सकता है .**

इस प्रकार एस.जी.एस.टी. के रूप में मिलने वाला पूरा राजस्व अंतरराष्ट्रीय व्यापर के दौरान भी उपभोक्ता राज्य को ही मिल जाएगा .

इसका विस्तृत उदाहरण इस पुस्तक के अंत में लगे Annexure- 1 देखें .

\*\*\*

#### **अध्याय -4**

#### **कर की दर – RATE OF TAX**

जी.एस.टी. को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल व्यापार एवं उद्योग में लगे हुए कर दाताओं के मन में है कि जिस वस्तु का वे उत्पादन एवं व्यापर कर रहे हैं है उस पर कर की दर क्या होगी !!!

इसी से जुड़ा यह भी सवाल है कि किन – किन वस्तुओं को कर मुक्त रखा जाएगा ?

आइये इस अध्याय में कर की दरों के बारे में कुछ अध्ययन करते हैं। इसके लिए हम कुछ प्रश्नों का सहारा ले रहे हैं :-

**प्रश्न :- कर की मुख्य दरें क्या होगी**

केंद्र और राज्य सरकार के वित्त मंत्रियों की सयुन्तक रूप से बनी जी.एस.टी. कॉंसिल के सदस्यों , जिनमें राज्य और केंद्र दोनों के प्रतिनिधि शामिल है , ने कर की दरों के सम्बन्ध में एक फैसला ले लिया है और उनके द्वारा 4 दरों की बात की गई है .

यह दरें 5 प्रतिशत , 12 प्रतिशत , 18 प्रतिशत एवं 28 प्रतिशत होंगी . इन दरों के दौरान विभिन्न कर की दरों के अंतर्गत करयोग्य वस्तुओं की सूची जारी नहीं की गई है इसलिए इस समय यह तो नहीं कहा जा सकता कि कौनसी वस्तु किस कर की दर के तहत आएगी .

**प्रश्न:- क्या करमुक्त रहने की संभावना है ?**

**खाध्यान सहित आवश्यक उपभोग की कई वस्तुओं को टैक्स फ्री रखा जा**

रहा है . इस लिहाज से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में शामिल तमाम वस्तुओं में से करीब 50 प्रतिशत वस्तुओं पर कोई कर नहीं लगेगा और यह वस्तुएं करमुक्त की श्रेणी में आयेंगी . इस प्रकार आप मान सकते हैं कि गेंहू़ , चावल , दालें , मक्का , बाजरा इत्यादि जो इस समय अधिकाँश राज्यों में करमुक्त हैं के जी.एस.टी. के दौरान भी करमुक्त रहने की पूरी संभावना है .

**प्रश्न :- अन्य दरों में कौन – कौन सी वस्तुएं समाहित होंगी ?**

सबसे निम्न दर आम उपभोग की वस्तुओं पर लागू होगी जो कि 5 प्रतिशत की दर होगी .

शेष वस्तुओं पर या तो 12 प्रतिशत कर की दर होगी या फिर 18 प्रतिशत जिसे की "स्टैण्डर्ड रेट" कहा गया है .

सबसे ऊंची दर विलासिता और तंबाकू जैसी अहितकर वस्तुओं पर 28 प्रतिशत लागू होगी . ऊंची दर के साथ इन पर अतिरिक्त उपकर भी लगाया जायेगा .

**प्रश्न :- सोने – चांदी जेवरात इत्यादि पर कर की दर क्या होगी ?**

सोने पर 3 या 4 प्रतिशत की दर लगाए जाने की संभावना है लेकिन आधिकारिक रूप से अभी इस सम्बन्ध में अंतिम कुछ भी नहीं आया है .

करमुक्त वस्तुओं की सूची एवं हर कर की दर में समाहित वस्तुओं की सूचि की भी अभी प्रतीक्षा है .

**प्रश्न :- निर्यात पर कर का क्या होगा ?**

सभी प्रकार के एक्सपोर्ट "शून्य कर" की श्रेणी में आयेंगे और इनके लिए जो भी इनपुट होगा चाहे वह सर्विस के लिए हो या गुड्स के लिए रिफंड कर दिया जाएगा . यही प्रणाली अभी भी लागू है .

**प्रश्न :- सेवाओं पर कर की दर क्या हो सकती है ?**

अधिकाँश सेवाओं पर अभी प्रभावी सेवा कर की दर 15 प्रतिशत है जो

कि 18 प्रतिशत होने की सम्भावन है लेकिन रोड ट्रांसपोर्ट जैसी सेवाओं पर कर की दर अभी की तरह ही कम हो सकती है ।

इस सम्बन्ध में प्राप्त खबरों के अनुसार चिकित्सा , शिक्षा एवं कृषि सम्बन्धी सेवाओं की करमुक्त ही रहने की पूरी संभावना है . अभी और जो भी

सेवाएं करमुक्त है उनके फिलहाल जी.एस.टी के दौरान भी करमुक्त रहने की पूरी संभावना है ।

अब जी.एस.टी. शीघ्र ही लगने वाला है अतः सरकार को वस्तुओं की दर की एक अंतरिम सूचि तो जारी कर ही देनी चाहिए ताकि इस सम्बन्ध में व्यापार एवं उद्योग जगत की एक उत्सुकता तो समाप्त हो । कर की अंतिम रूप से लागू होने वाली सूचि में परिवर्तन का अधिकार तो सरकार के पास हमेशा की तरह है ही ।

**प्रश्न :--क्या अलग – अलग वस्तुओं पर कर की दरें तय कर दी गई है ?**

हो सकता है कानून निर्माता इस और अपना अधिकाँश कार्य कर चुके हो लेकिन अभी इस बारे में कोई सूचियाँ जारी नहीं की गई है ।

**प्रश्न :- कब दरें तय होगी – क्या संभावना है ?**

लेकिन इस सम्बन्ध में अभी जो अधिकारिक समाचार आ रहे है उनके अनुसार जी.एस.टी. की दरें तय करना कोई आसान काम नहीं होगा । इसके लिए पहले कर मुक्त वस्तुओं और सेवाओं की सूची बनाई जायेगी और इसके बाद ही करों की अंतिम दरों की सूचि तय होगी और इसमें अभी समय लगेगा और ऐसी संभावना है कि जी.एस.टी. लगने के ठीक पहले ही यह सूचि पूरी तरह से घोषित की जायेगी ।

\*\*\*\*

## अध्याय - 5

### जी.एस.टी.के रिटर्न

जी.एस.टी. को लेकर जो सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया का जो आपको पालन करना होगा वह है जी.एस.टी. के रिटर्न भरना .

आइये आज इस अध्याय में जी.एस.टी. के रिटर्न भरने की प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं और इसमें सबसे पहले चर्चा करेंगे उन करदाता की जो कि सामान्य करदाता है अर्थात् वे करदाता जो सामान्य रूप से जी.एस.टी. का कर भुगतान करेंगे और जिन्होंने कम्पोजीशन कर भुगतान का विकल्प नहीं लिया है . अधिकाँश डीलर्स जी.एस.टी. के तहत इसी श्रेणी में आयेंगे अतः सबसे पहले इसी श्रेणी के लिए रिटर्न की चर्चा करते हैं :-

### कुल कितने रिटर्न होंगे

आपको प्रत्येक माह तीन रिटर्न भरने होंगे जो पूरी तरह से एक दुसरे से अलग होंगे तो आइये पहले हम यह देखें कि ये तीन रिटर्न कौनसे होंगे एवं कि अवधि में पेश करने होंगे :-

रिटर्न का नाम	विवरण	कब तक पेश करना है
GSTR-1	मासिक बिक्री का विवरण	अगले माह की 10 तारीख तक
GSTR-2	मासिक खरीद का विवरण	अगले माह की 15 तारीख तक (10 तारीख के पूर्व यह रिटर्न नहीं भरा जा सकता है अर्थात् इसे आपको 10 से 15

		तारीख के बीच भरना है).
GSTR-3	मासिक कर का रिटर्न	अगले माह की 20 तारीख तक.
GSTR-9	वार्षिक रिटर्न	वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद 31 दिसम्बर तक.

इस प्रकार आप देखेंगे कि कुल पूरे वर्ष में आपको एक वार्षिक रिटर्न को मिलाते हुए कुल 37 रिटर्न भरने होंगे . इसके आपको हर माह के बाद 10 दिन ,15 दिन एवं 20 दिन मिलेंगे और इस प्रक्रिया का पालन आपको हर माह करना होगा .

अब आगे हम देखेंगे कि ये तीनों मासिक रिटर्न किस तरह भरे जाएंगे और यह रिटर्न सरकार द्वारा विकसित जी.एस.टी.एन. नामक नेटवर्क पर भरना पड़ेगा और सभी कुछ सूचना तकनीक पर आधारित होगा और जी.एस.टी.पूरा का पूरा सुचना तकनीक पर आधारित होगा इसमें कोई बहुत ज्यादा आश्वर्य की बात नहीं है क्यों कि इस समय सेंट्रल एक्साइज , सर्विस टैक्स और अधिकाँश राज्यों में वेट भी इसी तकनीक पर अर्थात् ऑनलाइन ही भरे जा रहे हैं .

जी.एस.टी. पूरी तरह से सूचना तकनीक पर आधारित होगा लेकिन फिर भी आपको इससे जुड़े प्रावधानों के पालन के लिए ना सिर्फ काफी मेहनत करनी होगी बल्कि समय की मुश्किल सीमा का भी पालन करना होगा क्यों कि आपके रिटर्न पर ही आपके खरीददारों के रिटर्न भी निर्भर है और आपके विक्रेताओं के रिटर्न पर आपका रिटर्न निर्भर होगा . यदि आप अपना रिटर्न सही एवं समय पर नहीं भरते हैं तो आपके खरीददारों के लिए “मिसमैच” की समस्या पैदा होगी और यदि आपके विक्रेता अपना रिटर्न सही एवं समय पर नहीं भरते हैं तो आपके लिए मिसमैच की समस्या खड़ी हो जायेगी .

जी.एस.टी.एन आपकी रेटिंग तय करेगा

आपके सही समय पर रिटर्न भरने , कर जमा कराने के आधार पर आपकी रेटिंग भी तय की जायेगी जिसे समय – समय पर अपडेट भी किया जाएगा और यह रेटिंग (धारा 149 ) अन्य डीलर्स के देखे जाने के लिए भी उपलब्ध रहेगी

जी.एस.टी.- सी.ए . सुधीर हालाखंडी 15

अतः आपके लिए यह ही उचित होगा कि इन नियमों का उचित पालन करें ताकि आपके साथ व्यापार करने वाले वर्तमान एवं भावी डीलर्स पर इसका अच्छा प्रभाव पड़े ।

आइये अब तीन मुख्य रिटर्न्स का अध्ययन करें

जी.एस.टी.आर.-1  
(धारा 37)

यह आपकी मासिक सप्लाई का रिटर्न होगा और इसमें आप द्वारा सप्लाई की गई माल एवं सेवाओं का जिक्र होगा ।

यहाँ ध्यान रखें कि आप द्वारा जी.एस.टी. में रजिस्टर्ड डीलर्स को की गई सप्लाई चाहे वह राज्य के भीतर हो या दूसरे राज्य के डीलर को है , का विवरण प्रत्येक बिल का अलग -अलग देना होगा इस विवरण में खरीदार का जी.एस.टी.एन नंबर भी देना होगा ।

इसके अतिरिक्त जो सप्लाई उपभोक्ता या अन-रजिस्टर्ड डीलर्स को है उसका विवरण एक साथ देना होगा और इसकी विभाजन आपको कर की दर के हिसाब से करना होगा ।

लेकिन यदि अन-रजिस्टर्ड को की गई किसी एक बिल से अन्तरप्रान्तीय (एक राज्य से दूसरे राज्य को ) सप्लाई 2.50 लाख रूपये से अधिक है तो उसकी विगत भी आपको बिल सहित देनी होगी ।

इसके अतिरिक्त यदि आप राज्य के बाहर बिक्री करते हैं और इस बिक्री में से 2.50 लाख रूपये से अधिक के बिल की छोड़ते हुए (जिसकी बिल सहित विगत आप ऊपर लिखे अनुसार दे रहें हैं ) बिक्री की सामूहिक विगत आपको “राज्य वार” देनी है अर्थात् किस राज्य के डीलर को आपने कितनी बिक्री की है इसकी राज्यवार विगत देनी होगी ।

आप जो सप्लाई इस रिटर्न में जी.एसटी.में रजिस्टर्ड डीलर्स को लेकर भरेंगे वो स्वतः ही जी.एस.टी.एन. नेटवर्क के जरिये आपके खरीददार डीलर के जी.एस.टी.आर -2 रिटर्न के एक भाग में आ जायेगी .

इस रिटर्न को भरते समय आपको HSN Code भी भरना होगा लेकिन यह किन डीलर्स को भरना होगा इसका अध्ययन हम आगे करेंगे.

यह रिटर्न आपको महीना समाप्त होने के 10 दिन के भीतर भरना होगा. यहाँ यह विशेष रूप से ध्यान रखें कि यदि आप 10 तारीख तक यह रिटर्न नहीं भरते हैं तो फिर आप यह रिटर्न अब आप 16 तारीख को या उसके बाद ही भर पायेंगे क्यों कि 11 तारीख से 15 तारीख तक आपके खरीददार आपके द्वारा भरी गई बिक्री/सप्लाई की अपने रिकॉर्ड से जांच कर उसे स्वीकार /अस्वीकार/ संशोधित करेंगे और इसी कारण से उन 5 दिनों के लिए जी.एस.टी.आर.-1 भरने की सुविधा बंद कर दी जायेगी.

जी.एस.टी.आर.-2

धारा 38

जो सप्लाई की विगत जी.एस.टी.आर.-1 में आप द्वारा भरी गई है वह आपके खरीददार के खरीद के विवरण जी.एस.टी.आर -2 नामक रिटर्न के एक भाग में अपने -आप ही आ जायेगी .इसी तरह मान लीजिये कि आपके विक्रेताओं ने जो आपको की बिक्री की विगत अपने जी.एस.टी.आर.-1 में भरी है वो आपकी खरीद के जी.एस.टी.आर -2 नामक रिटर्न के एक भाग में अपने-आप आ जाएगी .

अब क्रेता अपने रिटर्न में अपने आप आई हुई खरीद की विगत की जांच अपने रिकॉर्ड से करेगा और यदि सही होगी तो इसे अनुमोदित अर्थात् मंजूर कर देगा और यदि क्रेता के हिसाब से यह गलत/फर्क होगा तो वह इसमें आपने रिकॉर्ड के अनुसार परिवर्तन कर देगा या और भी बिक्री जो विक्रेता ने नहीं दिखाई है या अभी तक विक्रेता ने रिटर्न ही नहीं भरा है तो क्रेता यह खरीद भी अपने रिटर्न में जोड़ सकता .

यह कार्य क्रेता को माह समाप्त होने के बाद अगले माह की 11 तारीख से प्रारम्भ कर 15 तारीख तक करना होगा.

क्रेता जो परिवर्तन विक्रेता के द्वारा भरे गए जी.एस.टी.आर.-1 से प्राप्त सूचना में परिवर्तन करेगा उसकी सुचना विक्रेता के पास इसी पोर्टल पर उसके जी.एस.टी.आर -1A के जरिये पहुंचेंगी और यदि विक्रेता भी इसे मान लेता है तो इससे उसका जी.एस.टी.आर -1 इस परिवर्तन तक संशोधित हो जाएगा.

विक्रेता उसी माह की, जिसमें रिटर्न भरना ऊपर बताया गया है, कि 17 तारीख तक क्रेता द्वारा किये गए परिवर्तन को अप्रूव करे सकेगा और वह ऐसा नहीं करता है तो एक मिसमैच रिपोर्ट जारी हो जायेगी और आपके क्रेता को परेशानी होगी .

जी.एस.टी.आर.-3  
धारा 39

जी.एस.टी.आर-1 एवं जी.एस.टी.आर.-2 भरने के बाद 20 तारीख तक जी.एस.टी.आर.-3 के रूप में एक मासिक रिटर्न भरना होगा जिसमें करदाता उसके आउटपुट में से इनपुट घटाने के बाद मासिक कर का निर्धारण करने के बाद उसे जमा करते हुए विवरण देगा .

आइये देखें की इस रिटर्न जी.एस.टी.आर.-3 में दिए गए आंकड़े किस तरह से भरे जायेंगे :-

पार्ट -A :- इस रिटर्न का पार्ट -A जी.एस.टी.आर. 1 एवं जी.एस.टी.आर-2 के आधार पर स्वतः ही भरा हुआ होगा. जिसमें आपकी इनपुट और आउटपुट क्रेडिट होगी .

पार्ट -B :- इसमें टैक्स , ब्याज एवं पेनाल्टी की विगत होगी जो कि आपके केश और आई.टी.सी. लेजर से स्वतः ही आ जायेगी . केश और

आई.टी.सी. लेजर में डीलर की इनपुट क्रेडिट एवं जमा कराये गए कर का विवरण होगा.

अब आप स्वयं सोच ले कि आपके रिटर्न पर आपके सभी खरीददारों के रिटर्न निर्भर है और उसी तरह से आपके विक्रेताओं के रिटर्न पर आपका रिटर्न निर्भर है

तो अब रिटर्न भरते समय “समय सीमा” का पालन करना अति आवश्यक हो जाएगा .

इस समय वेट के दौरान जो रिटर्न आप भरते है उनमे जिन राज्यों में त्रैमासिक रिटर्न है वहां वार्षिक रिटर्न को मिलाते हुए आप 5 रिटर्न भरतें है और जहां मासिक रिटर्न है वहां आप 13 रिटर्न भरतें है अब इन रिटर्न की संख्या 37 हो जायेगी .

अभी तक आपको रिटर्न भरने के लिए 30 दिन से 60 दिन का समय दिया जाता है उसे भी घटा कर 10 दिन कर दिया गया है और इस पूरी प्रक्रिया के लिए आपको 20 दिन का समय दिया गया है .

इसलिए आप अभी से जी.एस.टी.की प्रक्रियाओं के लिए तैयार हो जाएँ .

\*\*\*\*\*

## अध्याय -6

### जी.एस.टी. – कम्पोजीशन स्कीम

क्या हर लघु उद्योग एवं छोटा व्यापारी कम्पोजीशन का लाभ ले सकता है ?

देखिये कम्पोजीशन स्कीम उन्ही डीलर्स के लिए व्यवहारिक होती है जो कि सीधे ही उपभोताओं को माल बेचते है . जो डीलर्स दूसरे डीलर्स को माल बेचते है उनके लिए कम्पोजीशन स्कीम को कोई व्यवहारिक उपयोग नहीं होता है क्यों कि कम्पोजीशन डीलर्स द्वारा बेचे गये माल पर “इनपुट क्रेडिट” नहीं मिलती है .

जी.एस.टी. के दौरान भी कम्पोजीशन स्कीम होगी और यह व्यापारी और निर्माता दोनों के लिए होगी .

यहाँ आप ध्यान रखें कि कम्पोजीशन स्कीम से सम्बंधित प्रावधान जी.एस.टी. के सम्बन्ध में केद्र एवं राज्यों दोनों के ही कानून की धारा 10 में दिए गए है और इस सम्बन्ध में रूल्स का प्रारूप भी जारी किया गया है, केंद्र का कानून बन चुका है , राज्यों के कानून उनकी विधान सभाओं में अब पारित होने है और रूल्स के अभी केवल प्रारूप ही जारी हुए है .

आइये अब कम्पोजीशन स्कीम को कुछ प्रश्नों के साथ विस्तार से जानने का प्रयास करें :-

**प्रश्न :-**

कम्पोजीशन के लिए बिक्री/ टर्नओवर की सीमा क्या होगी ?

-जीएस.टी. कम्पोजीशन उन डीलर्स के लिए ही होगा जो ऊपर बताई शर्तों के अनुसार इस स्कीम के तहत आते हैं वे बीते हुए वर्ष (पिछले वर्ष) में 50 लाख रूपये से कम की बिक्री या टर्नओवर करते हैं .

यदि आपका टर्नओवर बीते वर्ष में 50 लाख रूपये से अधिक है तो आप इस स्कीम का लाभ नहीं ले सकते हैं .

**प्रश्न :-**

हमारे राज्य में कम्पोजीशन की सीमा 75 लाख है और वर्ष जो 31/03/2017 को जो साल समाप्त हुआ है उसमें हमारा टर्नओवर 70 लाख रूपये था और हम कम्पोजीशन का लाभ ले रहे थे . क्या अब भी हम जी.एस.टी. के दौरान कम्पोजीशन स्कीम का लाभ ले सकूँगा ?

-यदि आपके राज्य में इस समय कम्पोजीशन स्कीम की आधिकतम सीमा 75 लाख रूपये है (ऐसा मेरे स्वयं के राज्य राजस्थान में भी है ) और आपका टर्नओवर 31/03/2017 को 70 लाख रूपये है और आपने कम्पोजीशन स्कीम का लाभ लिया है तो भी अब आप जी.एस.टी. के तहत इस स्कीम के बाहर है क्यों कि जी.एस.टी. के तहत यह सीमा 50 लाख है और इसका निर्धारण भी आपके पिछले वर्ष के टर्नओवर से किया जाना है .

**प्रश्न:-** हम अभी भी अपने राज्य में कम्पोजीशन स्कीम में है अब क्या हमें जी.एस.टी. के लिए भी कम्पोजीशन का आवेदन करना होगा ?

-जी.एस.टी. प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए तो आप आवेदन कर ही चुके होंगे और अब यदि आप कम्पोजीशन स्कीम के तहत जाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए जी.एस.टी. कॉमन पोर्टल पर आवेदन करना होगा और यह आवेदन आप जी.एस.टी. कानून लागू होने के तीस दिन के भीतर एक फॉर्म GST CMMP-01 में ऑनलाइन करेंगे.

**प्रश्न :-** हम पहले से रजिस्टर्ड है क्या कम्पोजीशन स्कीम में जाने पर कोई और भी कोई शर्तें हैं जिनके कारण हम जी.एस.टी. कम्पोजीशन स्कीम में नहीं जा सकते हैं ?

-यदि आप जी.एस.टी. लागू होने के पहले से रजिस्टर्ड हैं तो जिस दिन जी.एस.टी. लागू होता है उस दिन आपके पास जो भी स्टॉक है उस स्टॉक में निम्न प्रकार की खरीद शामिल नहीं होने चाहिए :-

- अंतरप्रांतीय खरीद अर्थात् किसी अन्य राज्य से खरीदा हुआ माल जिस दिन जी.एस.टी. लागू हो उस दिन स्टॉक में नहीं होना चाहिए .
- भारत के बाहर से खरीद अर्थात् किसी अन्य देश से खरीदा हुआ माल जिस दिन जी.एस.टी. लागू हो उस दिन स्टॉक में नहीं होना चाहिए .
- राज्य के बाहर से अपनी ही किसी ब्रांच या एजेंट या प्रिंसिपल से प्राप्त माल जिस दिन जी.एस.टी. लागू हो उस दिन स्टॉक में नहीं होना चाहिए .

इसी तरह की कुछ सीमाएं उन डीलर्स पर भी हैं जो जी.एस.टी. लगने के बाद रजिस्टर्ड होकर कम्पोजीशन में जाना चाहते हैं.

**प्रश्न :-** राज्य के बाहर माल बेचने वाले कम्पोजीशन स्कीम का लाभ ले सकेंगे ?

-जो डीलर्स एक राज्य से दूसरे राज्य में माल बेचते हैं वे कम्पोजीशन स्कीम के पात्र नहीं होंगे.

**प्रश्न :-** क्या कम्पोजीशन स्कीम का लाभ निर्माता भी ले सकते हैं ?

-हाँ इस कम्पोजीशन स्कीम के तहत निर्माता भी शामिल हो सकते हैं और वे भी कम्पोजीशन का लाभ ले सकते हैं .

लेकिन यदि सरकार चाहे तो, अधिसूचना के जरिये , कुछ प्रकार के निर्माताओं को इस स्कीम से वंचित कर बाहर कर सकती है .

**प्रश्न :-कम्पोजीशन कर की दर क्या होगी ?**

-कम्पोजीशन स्कीम के तहत कम्पोजीशन कर की अधिकतम दरें निम्न प्रकार होंगी :-

डीलर का विवरण	सी.जी.एस.टी. के तहत कम्पोजीशन कर की अधिकतम दर.	एस.जी.एस.टी. के तहत कम्पोजीशन कर की अधिकतम दर	अधिक प्रभावी कम्पोजीशन दर (एस.जी.एस.टी. + सी.जी.एस.टी.)
ट्रेडर्स अर्थात् वे डीलर्स जो सिर्फ खरीद बिक्री करते हैं .	आधा प्रतिशत- 0.50 प्रतिशत	आधा प्रतिशत- 0.50 प्रतिशत	एक प्रतिशत -1%
रेस्टोरेंट्स	ढाई प्रतिशत - 2.50 प्रतिशत	ढाई प्रतिशत - 2.50 प्रतिशत	पांच प्रतिशत - 5%
निर्माता	एक प्रतिशत- 1 प्रतिशत	एक प्रतिशत- 1 प्रतिशत	दो प्रतिशत - 2%

**प्रश्न :-क्या कम्पोजीशन की यह दरें अंतिम रूप से तय कर दी गई है ?**

-आप यदि ऊपर लिखे जवाब को ध्यान से पढ़े तो आपको पता लगेगा कि यह अधिकतम दरें हैं और इन दरों से अधिक कम्पोजीशन कर नहीं लगाया जा सकता है . अंतिम दरें इनसे अधिक नहीं होगी .

**प्रश्न :-कम्पोजीशन के तहत आने वाले डीलर्स को अपने रिटर्न्स कब- कब भरने होंगे ?**

-कम्पोजीशन डीलर्स को अपना रिटर्न तीन माह में एक बार भरना होगा एवं वर्ष के अंत में उन्हें एक वार्षिक रिटर्न भरना होगा . इस आम जी.एस.टी. करदाता के एक वर्ष में भरे जाने वाले 37 रिटर्न्स की जगह कम्पोजीशन डीलर्स को केवल 5 रिटर्न्स ही भरने होंगे.

**प्रश्न :-**क्या सेवा क्षेत्र के लिए भी यह कम्पोजीशन स्कीम लागू रहेगी ?

-सेवा क्षेत्र के लिए कम्पोजीशन स्कीम उपलब्ध नहीं है लेकिन एक ही अपवाद है और उसे ऊपर हमने रेस्टोरेंट सर्विस के रूप में बताया है जो कि वास्तव में सर्विस और माल के सप्लाई का मिश्रित रूप है . इसके अलावा किसी और सर्विस पर यह कम्पोजीशन स्कीम लागू नहीं है .

रेस्टोरेंट के केस में वे रेस्टोरेंट जिनका पिछले वर्ष में बिक्री / टर्नओवर 50 लाख रुपये से कम वे कम्पोजीशन का लाभ ले सकते हैं और इस कम्पोजीशन की अधिक्तम दर सी.जी.एस.टी. को लेकर 2.50 प्रतिशत एवं एस.जी.एस.टी. को लेकर 2.50 प्रतिशत अर्थात कुल 5.00 प्रतिशत होगी .

**प्रश्न :-**मेरा एक जनरल स्टोर है जो अभी कम्पोजीशन में है अब मैं एक फैक्ट्री प्लान कर रहा हूँ जिसका माल में राज्य के बाहर भी बेचूंगा . क्या मैं अपनी फैक्ट्री के लिए एक और जी.एस.टीस. रजिस्ट्रेशन ले सकता हूँ और एक और सवाल क्या मैं जी.एस.टी. के दौरान अपना जनरल स्टोर कम्पोजीशन में चला सकता हूँ .

-हाँ आप अपनी फैक्ट्री के लिए एक और रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं जो कि जी.एस.टी. के दौरान एक ही पेन नंबर पर एक से अधिक रजिस्ट्रेशन लेने का प्रावधान है यदि व्यापार अलग-अलग प्रकार के हैं .

लेकिन जी.एस.टी. के एक और प्रावधान के अनुसार यदि आप कम्पोजीशन का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके एक ही पेन नंबर पर जारी सभी रजिस्ट्रेशन पर कम्पोजीशन ही होना चाहिए . आपके केस में आपकी फैक्ट्री , चूँकि राज्य के बाहर माल बेचने की श्रेणी में आती है , अतः कम्पोजीशन में नहीं आ सकती अतः आपका कोई भी व्यापार कम्पोजीशन का लाभ नहीं ले सकता है .

**प्रश्न :-**यदि मेरे एक ही पेन पर जी.एस.टी. के दौरान दो व्यापार हैं तो क्या दोनों के लिए 50 लाख की अलग- 2 सीमा का लाभ मिल सकता है ?

-यह 50 लाख की लिमिट प्रति व्यक्ति (Per Person) है अर्थात् आप इसे प्रति पेन नंबर ही माने इस प्रकार एक पेन नंबर पर जितने भी व्यापार हैं उन सभी का टर्नओवर जोड़ा जाएगा.

**प्रश्न:-**हमारा बीते वर्ष ( पिछले वर्ष )में टर्नओवर 50 लाख रूपये था तो हम जी.एस.टी. के दौरान कम्पोजीशन के हकदार हो जाएँगे . जिस वर्ष हम कम्पोजीशन का लाभ लेंगे उस वर्ष में भी इस लाभ की कोई टर्नओवर सबंधी सीमा है ?

-जैसे ही इस वर्ष आपका टर्नओवर 50 लाख रूपये की रकम को क्रॉस करेगा उसी समय आपका कम्पोजीशन का लाभ आगे के लिये समाप्त हो जाएगा और फिर आपको सामान्य जी.एस.टी. डीलर की तरह कर देना होगा .

**प्रश्न :-**क्या कम्पोजीशन डीलर को अपने बिल पर भी कुछ लिखना होगा ?

-कम्पोजीशन डीलर को अपने बिल पर “ Composition Taxable Person , Not Eligible To Collect Tax on Supplies” लिखना होगा .

इसका हिन्दी अनुवाद हम यहाँ दे रहे हैं जो कि आपको अपने बिल के ऊपर अनिवार्य रूप से लिखना होगा :-

“कम्पोजीशन कर डीलर, कर एकत्रीकरण के योग्य नहीं”

**प्रश्न :-**क्या कम्पोजीशन डीलर को अपने व्यवसाय स्थल पर भी अपने कम्पोजीशन डीलर होने की कि कोई सूचना देनी होगी ?

-हाँ , कम्पोजीशन डीलर को अपने व्यवसाय स्थल पर भी यह लिखना होगा कि वह एक कम्पोजीशन डीलर है . इन डीलर्स को अपने साइन बोर्ड पर “ composition dealer” लिखना होगा .

**प्रश्न :-क्या हर वर्ष कम्पोजीशन के लिए आवेदन करना होगा ?**

-यदि किसी वर्ष में आप इसके योग्य हैं और कम्पोजीशन स्कीम का लाभ ले रहे हैं तो आने वाले वर्ष में इसके लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है . इस सम्बन्ध में जारी प्रावधानों का पालन करते हुए आप कम्पोजीशन का लाभ आने वाले वर्षों तक ले सकते हैं .

**प्रश्न :-क्या वर्ष के दौरान कम्पोजीशन स्कीम से बाहर आ सकते हैं ?**

-जो भी डीलर इस स्कीम से बाहर आना चाहता है वह जी.एस.टी. कॉमन पोर्टल पर GST CMP-04 फॉर्म भर कर बाहर आ सकता है .

\*\*\*\*\*

**DO NOT COPY**

## अध्याय -7

कैसा होगा दोहरे नियंत्रण की 50 : 50 सहमती के तहत  
जी.एस.टी.

कौन करेगा आपका असेसमेंट (कर -निर्धारण )

जी.एस.टी.कॉसिल की जो 2016 के अंतिम तिमाही में जो बैठकें हुई थी उनमें से अंतिम तीन मीटिंग्स में जो मुद्दा सबसे अधिक चर्चा का विषय बना था वह था करदाताओं के ऊपर "दोहरे नियंत्रण" अर्थात ड्यूल कंट्रोल का .

इसके बाद 16 जनवरी 2017 को जी.एस.टी. कॉसिल की अभी तक की अंतिम मीटिंग हुई थी उसमे इस समस्या का समाधान ढूँढ लेने का दावा किया जा रहा है उसके अनुसार 150 लाख रुपये तक की बिक्री तक के डीलर्स का नियंत्रण राज्यों और केंद्र के बीच 90 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत के अनुपात में बांटा जाएगा अर्थात 90 प्रतिशत डीलर्स पर राज्यों का नियंत्रण रहेगा और शेष 10 प्रतिशत डीलर्स पर केंद्र का नियंत्रण रहेगा . इस नियंत्रण का अर्थ यहाँ उनके "कर निर्धारण" अर्थात असेसमेंट से है .

150 लाख रुपये की बिक्री से अधिक के डीलर्स के नियंत्रण को राज्य और केंद्र के बीच सहमती के तहत 50 : 50 के अनुपात में बांटा जाएगा अर्थात कुल डीलर्स के 50 प्रतिशत पर राज्य नियंत्रण रखेंगे और शेष 50 प्रतिशत पर केंद्र नियंत्रण रखेगा .

सर्विस टैक्स डीलर्स और अंतरप्रांतीय बिक्री करने वाले डीलर्स के सम्बन्ध में भी यह फैसला लागू होगा यह अभी तक जो बयान आ रहें हैं उनमें स्पष्ट नहीं किया गया है और यहाँ ध्यान रखें कि सर्विस टैक्स डीलर्स के लिए 150 लाख रुपये का टर्नओवर बहुत बड़ी रकम है और ऐसे 90 प्रतिशत डीलर्स का नियंत्रण केंद्र राज्यों के पास छोड़ दे यह शायद संभव नहीं लगता है ।

यहाँ नियंत्रण रखने का अर्थ यह है कि इन डीलर्स का कर निर्धारण ऊपर बताये गये अनुपात के अनुसार राज्य एवं केंद्र सरकार के अधिकारियों द्वारा किया जाएगा और इसी मुद्दे पर राज्य और केंद्र एक मत नहीं हो पा रहे थे इसीलिये जी.एस.टी. कौंसिल की कई बैठकें बिना किसी नतीजे के समाप्त हो रही थीं ।

यहाँ यह ध्यान रखें कि जब सभी रिटर्न जी.एस.टी.एन. नामक एक ही नेटवर्क पर भरे जायेंगे और चूँकि इस समय भी लगभग अधिकांश राज्यों में वेट के भी सभी "कर निर्धारण" ऑनलाइन ही होते हैं तब फिर एक सोचने वाली बात यह है कि यह दोहरे नियंत्रण का प्रश्न इतना बड़ा कैसे हो गया ।

अब इस 50:50 के तहत कौनसा डीलर का कर निर्धारण राज्य करेगा इसका फैसला भी किसी भी फार्मूले के तहत होगा जिस पर राज्य एवं केंद्र सहमत होंगे लेकिन ऐसा नहीं लगता इस तरह का फैसला व्यापार और उध्योग के लिए प्रक्रियाओं में कोई सरलीकरण लाएगा और यहाँ विशेष बात यह है कि जी.एस.टी. पर केंद्र और राज्य ही आपस में ही प्रारम्भ से ही विवाद रहा है और जी.एस.टी. स्वयं ही केंद्र और राज्यों के बीच अधिकारों की एक खीचतान का मुद्दा रहा है और इस कर प्रणाली को लागू करने में व्यापार और उध्योग की राय को कोई अधिक महत्व नहीं दिया गया है । दोहरे नियंत्रण का मामला भी इसी तरह से केंद्र और राज्यों की

अपने -अपने अधिकार सुरक्षित करने की लड़ाई का ही एक हिस्सा है इसीलिये इस तरह के 50:50 तरह के प्रक्रियाओं को और भी उलझाने वाले

फैसले लेने में हमारे कानून निर्माताओं को कोई दुविधा अथवा हिचक नहीं हुई है .

आखिर यह दोहरे नियंत्रण का मुद्दा इतना महत्वपूर्ण कैसे हुआ इसके पीछे कारण यह है कि राज्यों के पास कुल मिला कर अप्रत्यक्ष कर को देखने के लिए लगभग 265000 अधिकारी एवं कर्मचारी हैं एवं केंद्र के पास भी इसी काम के लिए कुल 85000 अधिकारी एवं कर्मचारी हैं इसलिए काम का बँटवारा भी जरुरी था, ऐसा भी कहा जा रहा है और इसके साथ ही राज्यों एवं केंद्र के अधिकारों की बात भी इस मुद्दे से जुड़ा था .

लेकिन यदि व्यापार और उध्योग के हितों की ओर देखना हो और जी.एस.टी. को सरलीकरण की ओर ले जाना है तो राज्य एवं केंद्र के अप्रयक्ष करों के सभी स्टाफ को मिला कर एक "संघीय स्टाफ कैडर" बनाया जा सकता है जिससे कि व्यवहारिक रूप से भी दोहरे नियंत्रण की समस्या हल हो सकती है और 50:50 जैसे तरीके का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता .

\*\*\*\*\*

## अध्याय 8

### ई-वे बिल (इलेक्ट्रॉनिक वे बिल )

जी.एस.टी. के दौरान एक प्रावधान वे- बिल जारी करने के सम्बन्ध में है जिसका कि ड्राफ्ट जारी किया गया है (रूल्स अधिसूचित होना अभी बाकी है) उससे व्यापारी वर्ग एवं डीलर्स में एक बहुत बड़ी हलचल है और इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि एक तो इस समय जो समाचार मिल रहे हैं उनके अनुसार यह सभी वस्तुओं पर लागू है और दूसरा इसकी सीमा केवल 50000.00 रूपये है जो कि व्यापार और उद्योग जगत के हिसाब से बहुत कम है ।

आइये देखें कि यह प्रावधान क्या है और आपसे विस्तार से चर्चा करें कि वे बिल को लेकर आपकी जो आशंकाएं हैं वो कितनी सच हैं और अब सरकार को वास्तव में इस सम्बन्ध में क्या करना चाहिए । इस सम्बन्ध में आपके सवाल भी हैं आइये पहले उन्हें पहले ले लेते हैं :-

**प्रश्न :-**

क्या इलेक्ट्रॉनिक वे-बिल अभी जारी रोड परमिट की तरह ही है ? क्या यह केवल दो राज्यों के बीच व्यापार पर ही लागू होगा या राज्य के भीतर बिक्री पर भी लागू होगा ?

- हाँ आप यह मान सकते हैं कि यह एक तरह से रोड परमिट ही है । लेकिन अभी तक जारी रोड परमिट जारी है वे दो राज्यों के बीच हुए व्यापार में ही लागू होते हैं और कई राज्यों में यह केवल विशिष्ट वस्तुओं पर ही लागू है लेकिन ईवे-

बिल राज्य के भीतर और राज्य के बाहर दोनों बिक्री पर लागू है और सभी वस्तुओं पर लागू होगा .

व्यापार एवं उद्योग जगत की यह उम्मीद थी कि जी.एस.टी. के दौरान रोड परमिट नाम की कोई बाधा नहीं होगी लेकिन उनकी यह उम्मीद तो पूरी नहीं हुई बल्कि इसका दायरा भी बढ़ा दिया गया है .

प्रश्न :-

इस फॉर्म को किस रकम के बिल पर जारी करना होगा

-50000.00 रूपये से अधिक के प्रत्येक जिसमे माल का मूवमेंट हो रहा है उस पर यह इलेक्ट्रोनिक वे-बिल जारी करना होगा चाहे यह मूवमेंट माल की सप्लाई के लिए हो या किसी और कारण से.

आप यह मान कर चले कि 50000.00 रूपये से अधिक का माल बिना इलेक्ट्रोनिक वे-बिल के मूव नहीं कर पायेगा. अब आप इस मूव का अर्थ मॉल को बेचना और भेजना दोनों ही लगा सकते हैं और चूँकि यह मूव सप्लाई के अलावा भी सारे माल के मूवमेंट को कवर करता है इसलिए अभी तक जो सूचना उपलब्ध है उसके अनुसार 50000.00 रूपये के अधिक के माल के हर मूवमेंट के लिए इलेक्ट्रोनिक वे-बिल जारी करना होगा .

प्रश्न :-ये इलेक्ट्रोनिक वे-बिल कहाँ से जारी होगा ?

-ये इलेक्ट्रोनिक वे-बिल जी.एस.टी. कॉमन पोर्टर से जारी होगा और आपको इसे कंप्यूटर और इन्टरनेट की मदद से जारी करना होगा. इस इलेक्ट्रोनिक वे-बिल के लिए बिल/ चालान की विगत तो आप जी.एस.टी. पोर्टल पर अपलोड करेंगे और उसके बाद या तो आप या आपका या खरीदार का ट्रांसफोर्टर आप द्वारा बिल की अपलोड की गई विगत से इलेक्ट्रोनिक वे-बिल जारी करेंगे .

प्रश्न :-क्या ये इलेक्ट्रोनिक वे-बिल रास्ते में भी चेक होगा .

-हाँ इसे चेक करने की प्रावधान भी बनाये गए हैं और यह राज्य के भीतर और राज्य के बाहर जहाँ भी माल का मूवमेंट होगा वहाँ इसे अधिकारियों द्वारा चेक किया जा सकता है।

एक राज्य में मूवमेंट के दौरान इलेक्ट्रोनिक वे-बिल एवं माल वाहन एक ही बार चेक होगा और कर चोरी की पुख्ता जानकारी होने पर ही इस दूसरी बार चेक किया जा सकता है। दो राज्यों की बीच व्यापार में इसे रास्ते में पड़ने वाले हर राज्य में चेक किया जा सकेगा।

प्रश्न :- क्या इस चेकिंग के दौरान समय की बर्बादी रोकने के लिए कोई उपाय किये गए हैं।

-हाँ इस प्रावधान की एक अच्छी बात यह है कि यदि आपका माल वाहन किसी एक जगह पर चेकिंग के दौरान 30 मिनिट से अधिक रोका जाता है तो आप जी.एस.टी. पोर्टल पर इसकी सूचना को अपलोड कर सकते हैं।

इस सूचना के बाद क्या होगा यह तो अभी घोषित नहीं है लेकिन इस प्रावधान से अधिकारियों पर रोके गए हर वाहन को 30 मिनिट में छोड़ने का नैतिक दबाव तो रहेगा ही। इस समय कई बार चेकिंग के दौरान माल वाहनों को कई घंटों तक रुकना होता है।

प्रश्न :- क्या इलेक्ट्रोनिक वे-बिल को काम में लेने की कोई निश्चित अवधि होगी या एक बार जारी होने के बाद इसे कभी भी काम में लिया जा सकेगा।

-इस इलेक्ट्रोनिक वे-बिल को काम में लेने की एक निश्चित अवधि है और इस अवधि के कारण व्यापारी एवं ट्रांसपोर्टर पृ एक अतिरिक्त जिम्मेदारी आ जाती है वे एक निश्चित अवधि में माल को डिलीवर करे दे।

आइये इस अवधि को भी देख लें :-

क्र.स.	दूरी (जिस स्थान से माल प्रारम्भ होकर जहाँ तक पहुंचना है)	इलेक्ट्रोनिक वे-बिल की वैधता की अवधि
1.	100 कि.मी.से कम	एक दिन
2.	100 कि.मी. या इससे अधिक लेकिन 300	तीन दिन

	कि.मी. से कम	
3.	300 कि.मी. या इससे अधिक लेकिन 500 कि.मी. से कम	पांच दिन
4.	500 कि.मी. या इससे अधिक लेकिन 1000 कि.मी. से कम	दस दिन
5.	1000 कि.मी. या इससे अधिक	15 दिन

प्रश्न :-यदि एक इलेक्ट्रोनिक वे-बिल जारी किया गया है लेकिन वह माल बेचा जाना निरस्त हो गया है तो क्या यह इलेक्ट्रोनिक वे-बिल केंसिल किया जा सकता है ?

-इलेक्ट्रोनिक वे-बिल जारी किये जाने के 24 घंटे के भीतर इसे केंसिल किया जा सकता है .

प्रश्न :-इस प्रावधान में जो RFID तकनीक के बारे में जिक्र किया गया है क्या उसे सभी माल - वाहनों पर लगाना होगा ? यह तकनीक क्या है कृपया सरल शब्दों में बताएं .

-ट्रांसपोर्टर यदि इलेक्ट्रोनिक वे-बिल की एक कॉपी अपने पास रखता है तो उसे इस तकनीक का इस्तेमाल करने की जरुरत नहीं होगी लेकिन यदि इस इलेक्ट्रोनिक वे-बिल की हार्ड कॉपी नहीं है तो फिर ट्रांसपोर्टर को RFID तकनीक के जरिये ये इलेक्ट्रोनिक वे-बिल चेक कराना होगा.

लेकिन RFID तकनीक का इसलिए महत्व है कि इसी प्रावधान में एक व्यवस्था यह भी है कि कि जी.एस.टी. कमीश्नर एक अधिसूचना के तहत “ कुछ प्रकार के” ट्रांसपोर्टर्स को यह तकनीक अपने वाहनों पर लगाना अनिवार्य कर सकते है . इसलिए इस तकनीक का अर्थ समझाना जरुरी है . आइये देखे ये Radio Frequency Identificationn Device का क्या अर्थ है :-

**रेडियो-आवृत्ति पहचान (अंग्रेज़ी: Radio-frequency identification) एक**

तकनीक का उपयोग है (आमतौर पर एक RFID टैग के रूप में संदर्भित) जिसे एक उत्पाद, पशु, या व्यक्ति में रेडियो तरंगों के इस्तेमाल से पहचान करने और ट्रैकिंग के उद्देश्य से लगाया या डाला जाता है। कुछ टैग को कई मीटर दूर से और पाठक की दृष्टि रेखा के पार से पढ़ा जा सकता है।

संभार-तन्त्र और परिवहन, RFID प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के प्रमुख क्षेत्र हैं। उदाहरण के लिए, यार्ड प्रबंधन, शिपिंग और माल ढुलाई और वितरण केन्द्र, कुछ ऐसी जगहें हैं RFID ट्रैकिंग प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया भर की परिवहन कंपनियां, व्यापार मूल्य और कार्यकुशलता पर RFID प्रौद्योगिकी के प्रभाव के कारण इसको तवज्ज्ञ देती हैं।

**प्रश्न :-**अब एक आखिरी प्रश्न इलेक्ट्रोनिक वे-बिल के सम्बन्ध में :-

आप जी.एस.टी. का अध्ययन काफी वर्षों से कर रहे हैं क्या आपको इस तरह के रोड परमिट के आने की आशंका थी ? आप इस प्रावधान को किस तरह से देखते हैं ?

-अभी तक इस तरह के वे-बिल सो राज्यों के मध्य होने वाले व्यापार पर ही लागु थे लेकिन इस प्रावधान से इसे काफी व्यापक कर दिया गया है और राशि 50 हजार भी काफी कम है और जिस तरह से यह प्रावधान बनाये जा रहे हैं उनके अनुसार यह सभी वस्तुओं एवं हरेक मूवमेंट पर लागू हो जाएगा .

जी.एस.टी. से व्यापार एवं उद्योग को सरलीकरण की एक उम्मीद थी और इस तरह के प्रावधान इस उम्मीद को समाप्त कर रहे हैं इसलिए ये प्रावधान किसी भी तरह से स्वागत योग्य नहीं है लेकिन अगर सरकार ऐसे प्रावधान बना ही रही है तो आपको इनका पालन करना ही होगा।

उद्योग एवं व्यापारिक संघठनों ने इस राशि को बढ़ा कर 5.00 लाख रूपये करने का अनुरोध किया है।

\*\*\*\*\*

## भाग -9

### जी.एस.टी. – प्रारम्भिक स्टॉक की इनपुट क्रेडिट

आइये आज की चर्चा में देखें कि जी.एस.टी. जिस भी दिन लागू होगा उस दिन आपके पास जो सेनवेट / वेट की क्रेडिट का अंतिम शेष होगा या आपके आपस जो स्टॉक होगा उस पर चुकाए हुए कर जो कि स्टॉक की कीमत शामिल होगा उसकी कोई क्रेडिट जी.एस.टी. के तहत मिलेगी .

आइये पहले यह समझने का प्रयास करें कि यह समस्या क्या है ताकि सरकार ने जो समाधान इसका दिया है वह आपको समझ आ सके और अभी से आप इस स्टॉक के बारे में कोई नीतिगत निर्णय लेना चाहे तो आपको पूरी मदद मिल सके . जो डीलर वेट और सेंट्रल एक्साइज में रजिस्टर्ड है उन्हें तो यह क्रेडिट अपने अंतिम रिटर्न के आधार पर ही मिल जायेगी लेकिन शेष डीलर्स के लिए भी कुछ प्रावधान किये गए हैं ताकि उन्हें इस कर प्राणाली परिवर्तन के कारण कोई नुकसान नहीं हो .

उदाहरण के लिए आप मान लीजिये कि आप एक मोटर पार्ट्स विक्रेता है और आपके पास कुल 10.00 लाख रूपये कीमत का स्टॉक है जिस पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं वेट दोनों ही लगा है .

अब आपका एक प्रतिस्पर्धी डीलर 1 जुलाई 2017 (जी.एस.टी. लगने की संभावित तारीख ) को यही माल सीधा ही निर्माता से खरीदता है तो उस पर एस.जी.एस.टी. और सी.जी.एस.टी. दोनों लगे होंगे . उस डीलर को जब वह माल बेचेगा तो उसके द्वारा चुकाए हुए एस.जी.एस.टी. एवं सी.जी.एस.टी. की छूट अपना कर चुकाते समय मिल जायेगी और व्यवहारिक रूप से वह अपने “मार्जिन” पर ही कर चुकाएगा . यही वेट और अब जी.एस.टी. की मूलभूत धारणा है और इस करारोपण का मूल सिद्धान्त है .

अब आपके पास जो स्टॉक है उसमे जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और/या वेट जुड़ा है उसकी छूट आपको नहीं मिले और आपको अब ग्राहक से प्राप्त किया गया एस.जी.एस.टी. एवं सी.जी.एस.टी. पूरा का पूरा ही चुकाना पड़े तो आपका माल 1 जुलाई 2017 को खरीदे गए माल के मुकाबले प्रतिस्पर्धी में नहीं टिक पायेगा या फिर आपको इस माल की बिक्री पर नुकसान उठाना होगा . इसलिए यह जरुरी है कि आपके 30 जून 2017 के स्टॉक में जो कर (वेट और सेंट्रल एक्साइज ) शामिल है कि छूट की कोई व्यवस्था की जाए .

इसी तरह जो आपके पास सेनवेट /वेट की क्रेडिट का जो अंतिम शेष है जो कि आपने अपने अंतिम रिटर्न में माँगा है वह भी आपको जी.एस.टी. के दौरान किस तरह से समायोजित किया जाएगा यह भी हम देखने का प्रयास करेंगे .

अब आपको जब यह समस्या समझ आ गई है तो देखे हमारे कानून निर्माताओं ने इसके लिए क्या प्रावधान किये हैं ताकि आप स्वयम तय कर सकते हैं कि आपको अपने स्टॉक की क्या रखना है उस दिन जिस दिन से जी.एस.टी. भारत में लागू होने वाला है :-

इस सम्बन्ध में प्रावधान सी.जी.एस.टी. कानून के अध्याय 20 में धारा 140 में दिए गए हैं और इसी तरह से प्रावधान राज्यों के एस.जी.एस.टी. कानून में भी हैं और जिन राज्यों में अभी जी.एस.टी. कानून पास नहीं हुए हैं उनके कानून में भी होंगे . इसलिए हम यहाँ सेंट्रल

एक्साइज और वेट दोनों को सी.जी.एस.टी. और एस.जी.एस.टी. के परिप्रेक्ष में अध्ययन के लिए ले रहे हैं .

राज्यों के एस.जी.एस.टी. कानून जो इस तरह की वेट की क्रेडिट देंगे एवं केंद्र के सी.जी.एस.टी. के कानून जो अपने यहाँ लगने वाले कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आदि कि क्रेडिट देंगे वे एक से ही है इसलिए हम दोनों अर्थात् केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और वेट दोनों के बारे में एक साथ ही बता रहें हैं . यहाँ ध्यान रखें कि अभी आपकी वस्तु करयोग्य है और जी.एस.टी. में करमुक्त घोषित हो जाती है तो आपको इस तरह का कोई लाभ इनपुट क्रेडिट का नहीं मिलेगा .

ये विषय थोड़ा मुश्किल है अतः आप इसे इस समय केवल पढ़ें और इसको समझने की कोशिश करें इसके साथ जुड़ी कुछ विसंगतियों एवं कानूनी अडचनों के बारे में ज्यादा नहीं सोचे क्यों कि एक बार आपके इसका बेसिक समझ आ गया तो आगे का काम उतना मुश्किल नहीं है .

आइये सूचीबद्ध तरीके से आपकी अंतिम सेनवेट/वेट क्रेडिट और प्रारम्भिक स्टोक में जुड़ी इनपुट क्रेडिट आपको जी.एस.टी. के प्रारम्भ में किस तरह से समायोजन मिलेगा और इसकी गणना किस प्रकार से होगी :-

**आप सेंट्रल एक्साइज/वेट में रजिस्टर्ड हैं और आपक सेनवेट/वेट का अंतिम इनपुट**

यह हमारी पहली स्थिति है और ये सबसे आसान भी है

विवरण	जी.एस.टी. के दौरान इनपुट क्रेडिट की रकम
जो डीलर्स (जी.एस.टी. में कम्पोजीशन डीलर्स को छोड़कर ) सेंट्रल एक्साइज/वेट में रजिस्टर्ड है उन्हें यह क्रेडिट अपने अंतिम भरे हुए रिटर्न के हिसाब से मिलेगी .	जी.एस.टी. लगने के अंतिम दिन तक का उन्होंने जो सेंट्रल एक्साइज /राज्य के वेट का जो रिटर्न भरा है उसमे जो क्रेडिट आगे ले जाने

हेतु उन्होंने रिटर्न में दिखाया है उसका क्रेडिट उन्हें जी.एस.टी. के दौरान इसकी क्रेडिट क्रमशः एस.जी.एस.टी. ( वेट का इनपुट ) सी.जी.एस.टी. ( सेंट्रल एक्साइज का इनपुट )

यह क्रेडिट उनके “इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर” में क्रेडिट कर दिया जाएगा जिसका उपयोग उनकी जी.एस.टी. के दौरान कर भुगतान से समायोजित करने में लिया जाएगा .

कोई शर्त है इस प्रकार के क्रेडिट को लेने के लिए :-

1. इस प्रकार के डीलर्स को अपने जी.एस.टी. लागू होने की तिथि से 6 माह पूर्व के सभी रिटर्न भरने होंगे और यदि उन्होंने यह रिटर्न नहीं भरे हैं तो उन्हें इस प्रारंभिक क्रेडिट जो उनके वेट और सेंट्रल एक्साइज के रिटर्न में अंतिम क्रेडिट के रूप में दिखाई गई है से वंचित रहना होगा .
2. यदि यह इनपुट क्रेडिट जी.एस.टी. कानून के तहत मिलने के योग्य नहीं है तब भी डीलर को इस क्रेडिट का लाभ नहीं दिया जाएगा . इसे आप यों समझिये कि कोई वस्तु जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क / वेट में करयोग्य है लेकिन जी.एस.टी. के दौरान उसे करमुक्त घोषित कर दिया तो स्वाभाविक है कि आपको इसकी क्रेडिट नहीं मिलेगी .

इसी के साथ आपको कैपिटल गुड्स की क्रेडिट भी इसी तरह से मिल जायेगी जो कि आपके सेंट्रल एक्साइज/वेट के अंतिम रिटर्न में कैरी फाँरवर्ड नहीं की है बशर्ते कि यह क्रेडिट अभी चल रहे कानून में सेनवेट क्रेडिट/ वेट इनपुट क्रेडिट की तरह और आने वाले जी.एस.टी. कानून में इनपुट क्रेडिट की तरह लेने के योग्य हो .

**क्या आपकी बिक्री वेट घोषणा पत्रों के आधार पर है -C-form/H-form/Export Declaration.**

यदि आपकी बिक्री वेटी के दौरान कुछ घोषणा पत्रों पर आधारित है जिनके कारण आपने कम कर की दर लगाई है जैसे – सी -फॉर्म पर बिक्री पर कर की दर 2% है (चाहे राज्य में उस वस्तु की कर की दर 14.50% ) इसी तरह एच फॉर्म पर जो माल एक्सपोर्टर को बेचते हैं तो इस पर कर की दर शून्य है (चाहे राज्य में उस वस्तु की कर की दर 14.50% ) तो आपका जो क्रेडिट अंतिम रिटर्न में आ रहा है उसमें से उतना हिस्सा रोक लिया जाएगा जिसके फॉर्म आपने पेश नहीं किये हैं और जब आप नियमानुसार ये फॉर्म और घोषणा पत्र पेश करेंगे तो राज्य में ही आपको इसका रिफंड दे दिया जाएगा .

ये प्रावधान आपको परेशान कर सकता है लेकिन जब कोई कर प्रणाली में इस तरह से परिवर्तन (ट्रांजीशन) का समय होता है तब कुछ परेशानिया तो होती ही है . इस सम्बन्ध में आपके लिए सलाह यह है कि आप अपने घोषणा पत्र (सी-फॉर्म , एच -फॉर्म इत्यादि) शीघ्र प्राप्त कर विभाग में पेश करें .

**आप सेंट्रल एक्साइज में रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन आपके खरीद के बिल में सेंट्रल एक्साइज लगी हुई है**

यह दूसरी स्थिथी है और पहली स्थिथी के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण है क्यों कि इसमें आने वाले डीलर्स की संख्या बहुत अधिक होगी .

शायद वेट के लिए आप इस स्थिथी की कल्पना नहीं कर सकते हैं क्यों कि वेट अभी भी अंतिम उपभोक्ता तक लगने वाला कर है और सेंट्रल एक्साइज इस समय निर्माण की स्थिथी तक ही लगती है तो ऐसे में ऐसा हो सकता है कि कोई डीलर सेंट्रल एक्साइज में रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन उसके बिल में सेंट्रल एक्साइज लगी हुई है क्यों कि वह एक सेंट्रल एक्साइज निर्माता या डीलर से माल खरीदता है .

वेट में भी जो डीलर कम्पोजीशन स्कीम में है और जी.एस.टी. में सामान्य डीलर की तरह प्रवेश करते हैं वे भी इसी श्रेणी में आ सकते हैं .

आइये देखें कि इस स्थिती में किस तरह से यह क्रेडिट सी.जी.एस.टी. के तहत मिलेगी :-

स्टॉक का विवरण	इनपुट क्रेडिट की रकम
जो डीलर्स (जी.एस.टी. के कम्पोजीशन डीलर्स को छोड़कर ) सेंट्रल एक्साइज में रजिस्टर्ड नहीं है उन्हें अपने अंतिम स्टॉक ( जो कच्चा माल हो अथवा तैयार या अर्धनिर्मित माल) में जो चुका हुआ सेंट्रल एक्साइज है और इसे साबित करने के लिए उनके पास बिल है जिसमें यह कर (सेंट्रल एक्साइज ) अलग से लगाया हुआ दिख रहा है .	उन्हें बिल में दिखाए हुए सेंट्रल एक्साइज की इनपुट क्रेडिट मिल जायेगी और यह क्रेडिट उनके “इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर” में जमा कर दी जायेगी जिसका उपयोग उनका जी.एस.टी. के दौरान कर भुगतान में समायोजन के लिए काम लिया जाएगा .

इसी तरह जहाँ यह प्रावधान वेट में लागू होता वहां इसका इसी तरह प्रयोग कर सकते हैं.

यह क्रेडिट तभी मिलेगी जब कि इस इनपुट या माल का प्रयोग जी.एस.टी. के तहत करयोग्य माल की सप्लाई के लिए किया जाए और इस तरह की इनपुट क्रेडिट जी.एस.टी. कानून में भी स्वीकार्य हो. यदि यह माल जी.एस.टी. के दौरान करमुक्त घोषित कर दिया गया है तो यह क्रेडिट नहीं मिलेगी.

इसके अतिरिक्त जैसा पहले भी बताया है कि इस तरह के व्यक्ति के पास ये कर भुगतान होने के प्रमाण स्वरूप बिल अथवा कोई ओर प्रपत्र हो अर्थात् कर किसी डीलर को चुकाई गई है इसका दस्तावेजी सबूत बिल (जिसमें कर लगा जी.एस.टी.- सी.ए . सुधीर हालाखंडी 40

हुआ होना चाहिए ) अथवा इसी तरह का कोई और दस्तावेज हो यह कोई और दस्तावेज बिल के अतिरिक्त चालान भी हो सकता है .

लेकिन ये ध्यान रखें कि यदि ये बिल जी.एस.टी. लगने की तारीख से 12 माह से पुराने हो तो आपको यह क्रेडिट नहीं मिलेगी इस तरह यदि जी.एस.टी. 1 जुलाई 2017 को लगता है तो जो स्टॉक आपके पास 30 जून 2016 या उससे पूर्व खरीदा हो तो इसकी क्रेडिट आपको नहीं मिलेगी . इसे आप विशेष ध्यान रखें .

इसे आप यों कह सकते हैं कि प्रार्थी सेंट्रल एक्साइज में रजिस्टर्ड तो नहीं था लेकिन उसके बिल में सेंट्रल एक्साइज लगी हुई है और ये बिल 12 माह से पुराने नहीं है तो आपको ऊपर लिखी शर्तों पर सेनेट क्रेडिट आगे ले जाने दी जायेगी भले ही आप सेंट्रल एक्साइज में रजिस्टर्ड नहीं हैं .

यहाँ भी आपने देखा कि गणना की एक निश्चित प्रणाली है लेकिन आगे हम एक तीसरी स्थिती देखेंगे जो इससे थोड़ी और मुश्किल है और उसमें शामिल डीलर्स की संख्या भी अधिक होगी .

### बिल में सेंट्रल एक्साइज नहीं लगा हुआ है

आप सेंट्रल एक्साइज में रजिस्टर्ड भी नहीं है और आपके पास जो बिल है उनमें भी सेंट्रल एक्साइज नहीं लगी है तो इसका अर्थ यह है कि आपने जो माल खरीदा है वह उस डीलर से नहीं खरीदा है जो सेंट्रल एक्साइज में रजिस्टर्ड है या जो सेंट्रल एक्साइज में रजिस्टर्ड डीलर है और ऐसे केस में आपके बिल में किसी भी प्रकार की सेंट्रल एक्साइज लगे होने का कोई प्रश्न ही नहीं है .

इस पर भी आपको क्रेडिट मिलेगी लेकिन कितनी मिलेगी यह सरकार इस सम्बन्ध में जारी नियमों में तय करेगी . जिन ट्रेडर्स के पास एक्साइज पेड माल है उन्हें नुकसान से बचाने के लिए इस प्रकार का प्रावधान बनाया गया है

आइये अब देखें कि जी.एस.टी. के जो रूल्स के प्रारूप जारी किये गए हैं उनके अनुसार इस के डीलर्स को एस.जी.एस.टी और सी.जी.एस.टी. में क्रेडिट कितनी और किस प्रकार से मिलेगी :-

केंद्र का जो सी.जी.एस.टी. वो उस वस्तु की सप्लाई पर भुगतान करेंगे उन्हें इस भुगतान के बाद , इस रकम के 40% के क्रेडिट दे दी जाएगी.

राज्य का जो एस.जी.एस.टी. वो उस वस्तु की सप्लाई पर भुगतान करेंगे उन्हें इस भुगतान के बाद , इस रकम के 40% के क्रेडिट दे दी जाएगी .  
- जहां राज्य के जीएस.टी. में ऐसा प्रावधान लागू होने की संभावना हो .

इस प्रकार जी.एस.टी. में जो भी कर का भुगतान इन वस्तुओं की सप्लाई पर किया जाएगा उसका 40% की क्रेडिट उन्हें प्रारम्भिक स्टॉक में शामिल छूटी के रूप में मिल जाएगा जिसे उनके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जमा कर दिया जाएगा .

यहाँ ध्यान रखें कि यह क्रेडिट मुख्यतया सी.जी.एस.टी. में ही मिलेगी क्यों कि ऐसे डीलर्स वेट में तो रजिस्टर्ड होंगे ही तो उन्हें उनके टैक्स की पूरी क्रेडिट अपने अंतिम रिटर्न के हिसाब से मिल जायेगी .

वेट में भी ऐसे डीलर्स हो सकते हैं जो कि वेट के दौरान कम्पोजीशन में थे और अब जी.एस.टी. के दौरान सामन्य कर करदाता की तरह कर का भुगतान करना चाहते हैं .

यह सारी क्रेडिट उन्हें इस माल को जी.एस.टी. लगने के 6 माह में बेच कर ही प्राप्त करनी होगी , इसके बाद यह क्रेडिट नहीं मिलेगी .

इसके अतिरिक्त एक और बात ध्यान रखें कि इस तरह से मिली हुई इनपुट क्रेडिट का लाभ ऐसे डीलर्स को अपने ग्राहकों को देना होगा .

आज हमनें मुख्य रूप से वेट और केन्द्रीय बिक्री कर के दौरान जो आपके पास अंतिम इनपुट क्रेडिट रह जायेगी एवं यदि आप केन्द्रीय उत्पाद शुल्क / वेट में कर में रजिस्टर्ड नहीं हैं तो आपके अंतिम स्टॉक में जो सेंट्रल एक्साइज /वेट

शामिल है उसकी क्रेडिट आपको कैसे जी.एस.टी. के दौरान मिलेगी उसका अध्ययन किया है। यह विषय थोड़ा मुश्किल है और इसपर ज्यादा समीक्षा अभी नहीं की गई है इसके कुछ अन्य भाग भी हैं जो कुछ असामान्य परिस्तिथियों में लागू होंगे उनका अध्ययन हम बाद में करेंगे।

यहाँ ध्यान रखें कि आपको इन सभी क्रेडिट को प्राप्त करने के लिए **Transitional Provisions Rules** (अभी अंतिम रूप दिया जा रहा है) के अनुसार जी.एस.टी. कॉमन पोर्टल पर निर्धारित फॉर्म एवं सूचनाओं के साथ अप्लाई करना होगा।

इस क्रेडिट चाहे वह सेंट्रल एक्साइज में रजिस्टर्ड डीलर्स की हो, चाहे वेट में रजिस्टर्ड डीलर्स की हो या उन डीलर्स की हो जो रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन बिल में लिखी हुई रकम के अनुसार स्टॉक में शामिल सेंट्रल एक्साइज एवं वेट की क्रेडिट लेना चाहते हैं या जो रजिस्टर्ड भी नहीं है और बिल में सेंट्रल एक्साइज इत्यादि अलग से नहीं लगी है इन सभी श्रेणी के डीलर्स को जी.एस.टी. लगने के 60 दिन के भीतर वांछित सूचनाये जी.एस.टी. पोर्टल Form GST TRANS-1 में देनी होगी।

\*\*\*\*\*

## अध्याय -10

भारत में लगने वाला जी.एस.टी. – सामयिक सवालों के जवाब

प्रश्न :-क्या जी.एस.टी. गेम चेंजर होगा ? जिस तरह से प्रचारित किया जा रहा है क्या जी.एस.टी. उसी तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए “ गेम चेंजर” होगा ?

-हाँ , जी.एस.टी. के बारे में जो कहा जा रहा है वह सच है . यदि जी.एस.टी. लागू होगा तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था की दशा बदल कर रख देगा . भारतीय अर्थव्यवस्था पर जी.एस.टी. एक बहुत प्रभाव डालने वाला होगा. यह भारतीय कर व्यवस्था में अब तक का सबसे बड़ा परिवर्तन है इसलिए इसके परिणाम भी इतने ही बड़े होंगे.

प्रश्न :-क्या यह प्रभाव सकारात्मक होगा ?

-हाँ , आप उम्मीद करें कि यह प्रभाव सकारात्मक ही हो क्यों कि जिस उम्मीद और प्रचार के साथ जी.एस.टी. लागू किया जा रहा अब उसमे सफलता के अलावा कोई और कल्पना करना भी अव्यवहारिक होगा . यदि जी.एस.टी. के परिणाम नकारात्मक हुए तो यह भारत की अर्थव्यवस्था के लम्बे समय तक इन्हें बर्दाश्त करना होगा क्यों कि जी.एस.टी. एक बार लागू करने के बाद इसे वापिस लेना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं होगा.

इसलिए इस समय जी.एस.टी. की असफलता की चर्चा करने का कोई महत्व नहीं है और हम यह मांग कर चले कि जी.एस.टी. जब भी लागू होगा सफल ही होगा भारत की अर्थयवस्था पर इसके प्रभाव सकारात्मक ही होंगे.

**प्रश्न :-** क्या जी.एस.टी. के सम्बन्ध में कानून बन चुके हैं या अभी इनपर कोई अभी भी कार्य बाकी है ?

-केंद्र को जो भी कानून बनाने थे वे सभी संसद से पास हो चुके हैं और राष्ट्रपति महोदय्य के दस्तखत भी हो चुके हैं . जी.एस.टी. के प्रक्रिया सम्बन्धी रूल्स के ड्राफ्ट भी जारी हो चुके हैं .

राज्यों ने भी अपने –अपने जी.एस.टी. कानून पास कराना प्रारम्भ कर दिया है और अभी तक तेलंगना , बिहार , राजस्थान , झारखण्ड , छत्तीसगढ़ , उत्तराखण्ड , मध्यप्रदेश और हरियाणा विधान सभा अपना –अपना जी.एस.टी. कानून बना चुके हैं.

शेष राज्यों में भी प्रक्रिया जारी है .

**प्रश्न :-** इस हिसाब से तो तैयारी पूरी हो चुकी है . क्या आपके हिसाब से अभी भी कुछ बाकी है ?

-हाँ कुछ बातें अभी बाकी हैं . एक तो वस्तुवार कर की दर अभी तय नहीं हुई है कि कौनसी वस्तु कर मुक्त या किस पर 5 प्रतिशत या 12 , 18 प्रतिशत कर की दर लगेगी.

दूसरा जी.एस.टी.एन के पोर्टल पर भी अभी काफी डीलर्स का माइग्रेशन बाकी है .

**प्रश्न :-**

जी.एस.टी. के लिए 1 अप्रैल 2017 की तारीख तो अब स्थगित की जा चुकी है और अब नयी तारीख 1 जुलाई 2017 दी गई है . एक तारीख और है 16 सितम्बर 20017 और इस तारीख तक यदि जी.एस.टी. लागू नहीं हुआ तो एक अप्रत्यक्ष करों को लेकर एक संकट पैदा हो जाएगा क्यों कि जी.एस.टी. संविधानिक संशोधन विधेयक के अनुसार 16 सितम्बर 2017 को अभी लागू सभी कर समाप्त हो जायेंगे तो फिर सरकार किस तरह से करों को एकत्र करेगी .

-जिस तरह से सरकार की तैयारी है और जिस तरह के कानून निर्माताओं द्वारा दावे किये जा रहे हैं उनके अनुसार जी.एस.टी. एक जुलाई 2017 से लागू हो ही जाएगा और अब सरकार का कर्तव्य भी है कि अब वह इस तारीख से जी.एस.टी. को लागू कर दे . अतः इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए कि ऐसी कोई स्थिरी उत्पन्न होगी .

#### प्रश्न

चलिए मान लेते हैं लेकिन हो सकता है कि सरकार 16 सितम्बर 2017 तक जी.एस.टी. नहीं लागू कर सके तो क्या होगा ?

-इस तरह की स्थिरी में संकट तो है पर इसके दो हल है पहला यह कि सरकार कारण बताए हुए राष्ट्रपति महोदय के पास जाए और वे अपनी संविधान संशोधन विधेयक द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग कर अभी तक जारी करों को आगे बढ़ा दें और दूसरा यह यह है कि सरकार फिर से संसद में जाए .

इन दोनों ही रास्तों से इस समस्या का हल मिल सकता है . इसलिए आप निश्चिन्त रहिये ऐसी किसी भी स्थिरी में देश अप्रत्यक्ष करों के बिना नहीं रहेगा और अभी चल रहे अप्रत्यक्ष कर लागू रहेंगे.

#### प्रश्न :-आई.जी.एस.टी. – क्या यह वस्तु की लागत बढ़ाएगा

आई.जी.एस.टी. के बारे में कहा जा रहा है कि दो राज्यों के बीच होने वाले व्यापार के दौरान ना सिर्फ माल की लागत बढ़ाएगा बल्कि प्रक्रिया संबंधी उलझने भी पैदा करेगा . क्या यह सही आशंका है ?

## सुधीर हालाखंडी :-

आई.जी.एस.टी. कोई अलग कर नहीं है बल्कि यह एक ऐसा तन्त्र है जिससे दो राज्यों के बीच होने वाले व्यापार को इस तरह से नियंत्रित किया जाएगा जिससे एकत्र होने वाले कर का एक हिस्सा जो कि सी.जी.एस.टी. अर्थात् केंद्रीय जी.एस.टी. के बराबर होगा वह केंद्र को जाएगा एवं दूसरा हिस्सा जो कि एस.जी.एस.टी. अर्थात् राज्यों के जी.एस.टी. के बराबर होगा वह उस राज्य को जाएगा जहाँ वह माल उपभोग किया जाएगा .

जी.एस.टी. एक अंतिम उपभोक्ता के राज्य को मिलने वाला कर है इसलिए जो निर्माता राज्य होगा उसे कोई कर नहीं मिलेगा. इस प्रकार आपके प्रश्न का जो पहला हिस्सा है उसका जवाब है और इससे कोई कर नहीं बढ़ेगा लेकिन आई.जी..एस.टी.डीलर्स के प्रक्रिया संबंधी लागत एवं उलझने जरुर बढ़ जायेंगी.

**प्रश्न :-** क्या आई.जी.एस.टी. भी केंद्र एवं राज्यों के जी.एस.टी. कानून के अनुसार चलेगा ?

-नहीं, आई.जी.एस.टी. के लिए एक अलग आई.जी.एस.टी. कानून बना है जिसे सी.जी.एस.टी. कानून की तरह ही राष्ट्रपति महोदय अपनी स्वीकृती दे चुके हैं .

### प्रश्न :-

क्या आई.जी.एस.टी. भी अभी जारी केंद्रीय बिक्री कर कानून सी.एस.टी. की तरह सी- फॉर्म इत्यादि होंगे जिनसे अक्सर व्यापारी वर्ग परेशान रहता है .

-आई.जी.एस.टी. में सी.एस.टी. अर्थात् अभी जारी केन्द्रीय बिक्री कर की तरह कर की कोई रियायती दर ही नहीं होगी इसलिए सी-फॉर्म जैसे किसी फॉर्म की कोई जरूरत नहीं होगी.

**प्रश्न :-** क्या जी.एस.टी. के दौरान कोई रोड परमिट जैसा फॉर्म भी होगा या अब डीलर्स को इससे मुक्ति मिल जाएगी ?

-ये सवाल काफी दिनों से डीलर्स के दिमाग में था और उन्हें यह उम्मीद थी कि व्यापार करने में इस तरह की बाधाएँ जी.एस.टी. के दौरान नहीं रहेंगी लेकिन ऐसा लगता नहीं है और अभी जारी ड्राफ्ट रूल्स के अनुसार प्रत्येक 50000.00 रुपये के बिल के साथ एक इलेक्ट्रोनिक बिल जारी करना होगा .

इसके साथ ही एक प्रावधान यह है कि यदि आपका माल वाहन कहीं 30 मिनिट से ज्यादा चेकिंग के लिए रोका जाता है तो इसकी सूचना जी.एस.टी.एन . पोर्टल पर दे सकते हैं इसका उद्देश्य शायद यही होगा कि इस सम्बन्ध में होने वाली समय की बर्बादी को रोका जा सके.

लेकिन फिर भी यह प्रावधान आपके लिए प्रक्रिया सम्बन्धी संकट ही पैदा करेगा और इसके लिए सरकार से उद्योग एवं व्यापार जगत से भी मांग की है कि इस राशि को बढ़ा कर 5.00 लाख रुपये कर देना चाहिए.

प्रश्न :-

क्या जी.एस.टी. लागू होने के दिन हमारे पास जो भी स्टॉक होगा उसे जो भी कर लगा हुआ होगा क्या जी.एस..टी. के लगने के बाद उस कर की क्रेडिट मिलेगी ?

-हाँ आपके अंतिम स्टॉक में जो भी वेट एवं सेंट्रल एक्साइज जुड़ा होगा और जिसकी इनपुट क्रेडिट आपकी अभी जारी कर कानून के तहत बकाया है तो उसकी क्रेडिट आपको जी.एस.टी. कानून के तहत मिलेगा . इसके अतिरिक्त आप यदि सेंट्रल एक्साइज के तहत रजिस्टर्ड नहीं ही लेकिन आपके बिल में सेंट्रल एक्साइज लगा है तो भी आपको उसकी क्रेडिट मिल जायेगी और यदि आपके स्टॉक पर सेंट्रल एक्साइज लगा है लेकिन बिल में नहीं दिख रहा है तो भी आपको इसकी क्रेडिट एक तय किये गए नियम के अनुसार आप द्वारा जी.एस.टी. के दौरान भुगतान किये गए कर के 40 % के रूप में मिलेगी.

यह क्रेडिट कुछ नियम/शर्तों के अनुसार मिलेगी जिनका विस्तार से वर्णन हम आगे के हमारे किसी भाग में करेंगे .

प्रश्न :-

इस समय जो वस्तुएं कर मुक्त है क्या वे जी.एस.टी. के दौरान भी करमुक्त रहेंगी क्या इस तरह की सम्भावना बनती है .

-अभी करमुक्त वस्तुओं की कोई सूचि तो जारी नहीं हुई है अभी लेकिन इस समय तक जो समाचार मिल रहे हैं उनके अनुसार आप यह उम्मीद कर सकते हैं कि अभी जो वस्तुएं करमुक्त हैं वे सभी करमुक्त , कुछ अपवादों को छोड़कर , रहने की सम्भावना है .

लेकिन इसके अन्तिम जवाब के लिए आप अभी करमुक्त वस्तुओं की सूची जारी होने का इन्तजार करें .

प्रश्न :-

क्या डीलर्स (जो निर्माता नहीं है ) उन्हें भी स्टॉक की पूरी डिटेल रखनी पड़ेगी ?

-अभी हाल ही में जो जी.एस.टी. में एकाउंट्स के सम्बन्ध में ड्राफ्ट रूल्स जारी किये गए हैं उनके अनुसार सभी डीलर्स (कम्पोजीशन डीलर्स को छोड़कर ) स्टॉक की पूरी डिटेल रखनी पड़ेगी और कई प्रकार के व्यापार में यह काफी मुश्किल होगा लेकिन अभी तो सरकार की यही मंशा जाहिर हो रही है .

प्रश्न :-

जी.एस.टी. के दौरान कम्पोजीशन स्कीम भी है लेकिन एक मेरा और सवाल है मेरा एक जनरल स्टोर है जिसके लिए मैं कम्पोजीशन स्कीम में हूँ और जीएस.टी. में भी यह जारी रखूँगा क्यों कि वेट और जी.एस.टी. के रिकॉर्ड रखना संभव नहीं है . अब मैं एक और व्यवसाय प्रारम्भ कर रहा हूँ जिसे मेरा माल राज्य के बाहर भी जाएगा . क्या मैं जी.एस.टी. के दौरान मेरे जनरल स्टोर के लिए कम्पोजीशन जारी रख सकूँगा ?

-जी.एस.टी. के दौरान यदि आपके “दो तरह के अलग –अलग” व्यापार हैं तो एक ही पेन पर दो रजिस्ट्रेशन आप ले सकते हैं। यह एक अच्छी व्यवस्था है क्यों कि कई राज्यों के वेट कानून के अनुसार एक पेन पर दो रजिस्ट्रेशन आप नहीं ले सकते थे।

लेकिन जो कम्पोजीशन के रूल्स जारी किये गए हैं उनके अनुसार यदि एक पेन पर जारी जी.एस.टी.एन रजिस्ट्रेशन के लिए आपने कम्पोजीशन ले रखा है तो उस पेन पर जारी सभी रजिस्ट्रेशन कम्पोजीशन का पालन करेंगे और जिस व्यापर में आप राज्य के बाहर बिक्री करते हैं वहां कम्पोजीशन संभव नहीं है। यह एक विरोधाभासी प्रावधान है और इसमें अंतिम जी..एस.टी. लगने तक सरकार को उचित संशोधन कर देना चाहिए।

\*\*\*\*\*

DO NOT COPY

## जी.एस.टी. सी.ए.सुधीर हालाखंडी

### ANNEXURE-1

#### आई. जी.एस.टी. किस तरह कार्य करेगा – एक उदाहरण

#### आई.जी.एस.टी. बिक्री के लिए ट्रांजेक्शन

प्रथम विक्रेता X मुंबई – 10 लाख रूपये मुंबई के ही Y को  
द्वितीय विक्रेता – Y मुंबई 10.50 लाख रूपये राजस्थान के Z को .  
तृतीय विक्रेता – Z राजस्थान 11 लाख रूपये राजस्थान में ही उपभोता को

1. पहला ट्रांजेक्शन राज्य के भीतर है .
2. दूसरा ट्रांजेक्शन अन्तर प्रान्तीय है (IGST)
3. तीसरा ट्रांजेक्शन राज्य के भीतर है .

कल्पना कीजिये जी.एस..टी. की दर 18 % है जिसमे से 10 प्रतिशत सी.जी.एस.टी. है और 8% एस.जी.एस.टी. है.

आसल में यह 18 % दोनों का 9 % एवं 9 प्रतिशत भी हो सकता है लेकिन उदाहरण के लिए हमने इसे 10 % और 8 % माना है जिसका कोई विशेष लारण नहीं है .

**कर की दरें उद्धारण के लिए**

<b>S.NO.</b>	<b>DESCRITOPN</b>	<b>RATE OF TAX</b>
1.	एस.जी.एस.टी.	8%
2.	सी.जी.एस.टी.	10%
3.	आई .जी.एस.टी. (1+2)=	18%

**विभिन्न डीलर्स का कर दायित्व**

<b>क्र.स.</b>	<b>विवरण</b>	<b>S.G.S.T. (8%)</b>	<b>CGST (10%)</b>	<b>IGST (18%)</b>	<b>रिमार्क</b>
1.	प्रथम विक्रेता X मुंबई - 10 लाख रूपये मुंबई Y	80000.00	100000.00	NA	पहला द्रांगेक्षण राज्य के भीतर है .
	Less:-इनपुट	NIL	NIL	NA	
	X का कर जमा क	80000.00	100000.00	NA	
2.	द्वितीय विक्रेता - Y मुंबई 10.50 लाख रूपये राजस्थान के Z को .	NA	NA	189000.00	दूसरा द्रांगेक्षण अन्तर प्रान्तीय है (IGST)
	Less:- इनपुट	NA	NA	180000.00	IGST मे

जी.एस.टी.- सी.ए . सुधीर हालाखंडी 52

				(SGST 80000.00 + CGST 100000.00)	अपने खरीदे गये माल पर चुकाये हुये SGST एवं CGST का इनपुट मिल जाता है .
	Y का कर जमा	NA	NA	9000.00	
3.	Z राजस्थान 11 लाख रूपये राजस्थान में ही उपभोता को	88000.00	110000.00	NA	तीसरा ट्रांजेक्शन राज्य के भीतर है .
	Less:- इनपुट	79000.00	110000.00	NA	Z की IGST इनपुट 1..89 लाख उसे IGST,CGST और इ SGST तो के साथ मे लेना है
	Z का जमा कर	9000.00	NIL	NA	

### राज्य और केन्द्र के मध्य रकम का ट्रान्सफर

क्र.स.	विवरण	रकम
1.	विक्रेता राज्य उस रकम को केंद्र को ट्रान्सफर करेगा जो की उसके डीलर ने आई.जी.एस.टी. .का भुगतान करते समय एस.जी.एस.टी. की क्रेडिट ली है . यहाँ x ने अपना आई.जी.एस.टी. चुकाते समय 80000.00 का एस.जी.एस.टी. का क्रेडिट लिया है जो की विक्रेता राज्य के खजाने में चला गया है .	80000.00

2.	केंद्र क्रेता राज्य को उस रकम का ट्रान्सफर देगा जो कि क्रेता राज्य के डीलर ने अपना एस.जी.एस.टी. चुकाते समय अपने द्वारा भुगतान किये गए आई.जी.एस.टी. का क्रेडिट लिया है और इस तरह से क्रेता राज्य का राजस्व केंद्र के खजाने में चला गया था ।	79000.00
----	--	----------

### IGST का केंद्र , विक्रेता राज्य और क्रेता राज्य के राजस्व पर प्रभाव

क्र.सं.	IGST के प्रभावी पक्ष
1.	विक्रेता राज्य
2.	क्रेता राज्य
3.	केंद्र सरकार

#### विक्रेता राज्य

क्र.सं.	विवरण	कर -SGST	रिमार्क
1.	कर की रकम जो कि प्रथम विकर्ता X ने जमा कराई ।	80000.00	CGST एवं IGST राज्यों का विषय नहीं है अतः यहाँ नहीं लिया गया है ।
2.	Less: - विक्रेता राज्य उस रकम को केंद्र को ट्रान्सफर करेगा जो कि उसके डीलर ने आई.जी.एस.टी. का भुगतान करते समय एस.जी.एस.टी. की क्रेडिट ली है । यहाँ X ने अपना आई.जी.एस.टी.	80000.00	NA

	चुकाते समय 80000.00 का एस.जी.एस.टी. का क्रेडिट लिया है जो की विक्रेता राज्य के खजाने में चला गया है .		
3.	विक्रेता राज्य का राजस्व	NIL	NA

Note- जी.एस.टी. एक उपभोक्ता राज्य को मिलने वाला कर है अतः यदि जिस राज्य में माल बिका है उस राज्य में इसका उपभोग नहीं होता है तो विक्रेता राज्य को कोई कर नहीं मिलेगा.

#### क्रेता राज्य – उपभोक्ता राज्य

क्र.स.	विवरण	SGST	रिमार्क
1.	क्रेता राज्य के डीलर द्वारा जमा कराया गया SGST .	9000.00	CGST और IGST राज्यों का विषय नहीं है अतः यहाँ शामिल नहीं है .
	Add- केंद्र क्रेता राज्य को उस रकम का ट्रान्सफर देगा जो कि क्रेता राज्य के डीलर ने अपना एस.जी.एस.टी. चुकाते समय अपने द्वारा भुगतान किये गए आई.जी.एस.टी. का क्रेडिट लिया है और इस तरह से क्रेता राज्य का राजस्व केंद्र के खजाने में चला गया था .	79000.00	NA

	क्रेता राज्य का राजस्व	88000.00	NA
--	------------------------	----------	----

Note: - क्रेता राज्य के उपभोक्ता की खरीद की कीमत 11.00 Lakhs @ 8% है इस तरह से इस राज्य का राजस्व Rs.88000.00 हुआ जो कि ऊपर लिखी गणना के अनुसार भी आ रहा है .

**केंद्र सरकार**

क्र.स.	विवरण	CGST	IGST	कुल रकम
1.	CGST की रकम जो कि विक्रेता राज्य के उस डीलर ने जमा कराई जिसने इस उद्धारण के प्रथम डीलर को माल बेचा था .	100000.00	NIL	100000.00
2.	IGST जो की इस उद्धारण के विक्रेता राज्य के डीलर X ने जमा कराया था .	NIL	9000.00	9000.00
	कुल रकम	100000.00	9000.00	109000.00
3.	Add:- विक्रेता राज्य उस रकम को केंद्र को ट्रान्सफर करेगा जो कि उसके डीलर ने आई.जी.एस.टी. .का भुगतान करते समय एस.जी.एस.टी. की	NA	NA	80000.00

	क्रेडिट ली है . यहाँ X ने अपना आई.जी.एस.टी. चुकाते समय 80000.00 का एस.जी.एस.टी. का क्रेडिट लिया है जो की विक्रेता राज्य के खजाने में चला गया है .			
	<b>Total</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>189000.00</b>
	Less - केंद्र क्रेता राज्य को उस रकम का ट्रान्सफर देगा जो कि क्रेता राज्य के डीलर ने अपना एस.जी.एस.टी. चुकाते समय अपने द्वारा भुगतान किये गए आई.जी.एस.टी. का क्रेडिट लिया है और इस तरह से क्रेता राज्य का राजस्व केंद्र के खजाने में चला गया था .	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>79000.00</b>
	<b>Result-केंद्र सरकार का राजस्व</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>110000.00</b>

**Note:** - क्रेता राज्य के उपभोक्ता की खरीद की कीमत 11.00 Lakhs @10% है इस तरह से इस तरह से केंद्र का राजस्व Rs.110000.00 हुआ जो कि ऊपर लिखी गणना के अनुसार भी आ रहा है .

इस तरह से आई.जी.एस.टी. का यह चक्र पूरा होता है .

\*\*\*\*\*

## ANNEXURE - 2

### जी.एस.टी. के दौरान विभिन्न रिटर्न प्रस्तुत करने के फॉर्म एवं उनकी अंतिम तिथी

क्र.सं.	फॉर्म का विवरण	फॉर्म का नाम	अंतिम तिथी*
1.	बिक्री /सप्लाई का रिटर्न	GSTR-1	10 तारीख
2.	खरीद /इनपुट का रिटर्न	GSTR-2	15 तारीख
3.	मासिक कर रिटर्न	GSTR-3	20 तारीख
4.	कम्पोजीशन का रिटर्न	GSTR-4	18 तारीख
5.	अनिवासी/ विदेशी डीलर	GSTR-5	20 तारीख
6.	इनपुट सर्विस वितरक	GSTR-6	13 तारीख
7.	टी.डी .एस. रिटर्न	GSTR-7	10 तारीख
8.	ई –कॉमर्स रिटर्न	GSTR-8	10 तारीख
9.	वार्षिक रिटर्न	GSTR-9	31 दिसंबर
10.	अंतिम रिटर्न ***	GSTR-10	3 माह में

\*जिस माह से रिटर्न सम्बंधित है उस माह के बाद वाले माह की तारीख.

\*\*जिस वित्तीय वर्ष से सम्बन्धी है उसके अगले वित्तीय वर्ष की तारीख .

\*\*\* रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र निरस्त होने के संबंध में .

\*\*\*\* रजिस्ट्रेशन निरस्त होने या इस सम्बन्ध में आदेश होने की तारीख , जो भी पहले हो.


## ANNEXURE -3

लेखक के बारे – थोड़ा कुछ परिचय

सी.ए . सुधीर हालाखंडी

The screenshot shows the British Library's website interface. At the top, there is a navigation bar with links for Catalogues, Collections, Discover, Services, Visiting, About, and Information for... On the right side of the header, there are links for Guest, My workspace, Personal settings, and Log in. Below the header, a red banner displays the text "Explore the British Library". The main content area shows a search result for the query "halakhandi". The search bar at the top of this section contains the text "halakhandi". To the left of the search bar, there are buttons for "Main catalogue" and "Our website". Below the search bar, there are two options: "Add results page to My workspace" (radio button selected) and "Try a new search by this Author/Contributor: Halakhandi, S. on this subject: Commerce". The search results are displayed below this. There are five results listed, with the first two being visible. Both results are categorized as "Article". Result 1 is titled "Goods and Service Tax - An Introductory Study" by Halakhandi, S. It is described as "The Chartered accountant : journal of the Institute of Chartered Accountants of India. VOL 55; NUMB 10, ; 2007, 1595-1612 -- THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA -- 2007". Result 2 is titled "VAT and CST: A Critical Study" by Halakhandi, S. It is described as "The Chartered accountant : journal of the Institute of Chartered Accountants of India. VOL 55; NUMB 10, ; 2007, 1595-1612 -- THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA -- 2007". Below each result, there are links for "Details", "I want this", and "Notes & Tags". The bottom of the screenshot shows a Windows taskbar with various icons and the date/time "06-05-2017 13:45".

### 1. ब्रिटिश लाइब्रेरी के केटेलॉग में आर्टिकल का जिक्र



2. ICAI – CA JOURNAL – APRIL 2007 – जब भारत में जी.एस.टी. की चर्चा शुरू ही हुई थी



3. लोकसभा सचिवालय द्वारा आर्टिकल रिफरेन्स में प्रयोग.

ਜੀ.ਏਸ.ਟੀ.- ਸੀ.ਏ . ਸਥੀਰ ਹਾਲਾਖ਼ਿੰਡੀ 60

CA Sudhir Halakhandi's Article used as Reference In Loksabha GST Bulletin

admin | Goods and Services Tax | 10 Jun 2015 | 1,127 Views | 0 comment

Free Download

Convert Word To PDF with FileConverter. Go to fileconverter.org

71 Records | Page [1 of 8] in 0.0313 seconds

Sort By: Relevance | Show Records: 10

Category	Records
DirectTaxnews	[5]
CorporateLaws	[1]
Indirect tax laws	[65]
International Tax	
Accounts & Audit	

#### 4. एक टैक्स साईट पर Taxmann

The screenshot shows a web browser window for [www.halakhandi.com](https://halakhandi.com). The main content features a large image of a book titled "GST - BY CA SUDHIR HALAKHNDI". Below the book image is a dark box containing the text "सुधीर हालाखंडी जी .एस.टी. भाग-7". To the right of the book image is a sidebar with social media icons for Facebook and Twitter, and tabs for "POPULAR", "LATEST", "COMMENTS", and "TAGS". Under the "POPULAR" tab, there are four entries: "GOODS AND SERVICE TAX BY CA SUDHIR HALAKHNDI-3" (May 2, 2017), "जो.एस.टी. सुधीर हालाखंडी भाग-2." (April 29, 2017), "जो.एस.टी. सुधीर हालाखंडी भाग-3" (April 29, 2017), and "जो.एस.टी. सुधीर हालाखंडी भाग-4" (April 29, 2017). At the bottom of the sidebar is a "Recent Comments" section.

## 5.हालाखंडी एंड कंपनी की साईट [www.halakhandi.com](http://www.halakhandi.com)

The screenshot shows a web browser window for [www.taxlok.com](http://www.taxlok.com/latest-writer-articles/show-details-in-sudhir%20halakhndi/13/180). The header includes the Tax-Lok logo, a phone number (09001929869), a shopping bag icon, and social media links for Home, About Us, Contact Us, Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, and RSS. The main content area features a news article by "WRITER - SUDHIR HALAKHANDI" with the sub-headline "CA. Sudhir Halakhandi has vast experience in the field of Direct & Indirect Tax. His articles on GST have got vast acceptability in the country. His article on GST was also included in the magazine published by Parliament on GST." Below the article are several promotional banners: "GST - It should be Govt. Policy to make it easy", "make it easy", "Treatment of Input Tax Credit on Closing Stock on GST Implementation date.", "Whether GST will be proved a Game Changer?", and "Composition Scheme OnGST". The footer of the page includes a "Search the web and Windows" bar and a system tray showing the date and time as 06-05-2017 14:12.

## 6.एक और टैक्स साईट Taxlok

Management Acc

icmai.in/upload/institute/journal/jul10.pdf

State level as well. This is the essence of GST, which will be a further improvement on goods-based VAT in the State. However, for this GST to be introduced at the State-level, it is essential that the States should be given the power of levy of taxation of all services. This power of levy of service taxes has so long been only with the Centre. A Constitutional amendment will be necessary for giving this power also to the States. The GST at the State-level is, therefore, justified for (a) comprehensive set-off relief (involving goods as well as services) for trade, industry and agriculture, (b) removal of cascading effect of CENVAT load, and (c) additional power of taxation of the States.

The GST at the Central and State-level will thus give more relief to trade, industry and agriculture through a more comprehensive and wider coverage of input tax and service tax set-off relief, further removal of cascading effects and more powers of taxation to the Central and the States. If this GST is properly formulated with appropriate calculation of rates, then there may eventually be revenue gains for both the Central and the States. If the potentiality of these revenue gains is significant, there

introduced GST/National VAT in some form. While countries such as Singapore virtually taxes everything at a single rate, some countries have more than one rate (zero rate, certain exemptions, and higher and lower rates). In some countries, it is recoverable only on goods used in the production process and specified services. The standard GST rates in most of the countries range between 15% to 20%. In Scandinavian countries (North Europe) where social security coverage is higher, it ranges between 22 to 25%.

In India, the standard rate of excise duty is 16% on manufacturer's sale price. In addition, there is state VAT at 4% and 12.5%. Therefore, the aggregate peak rate of taxes works out to 22% on retail sales price or at consumption level with standard rate of excise duty. At a lower end, with 4% VAT, it works out to 13.5%. It is therefore, feasible to fix tax neutral GST rate of 20% (less, if existing duty exemptions are reduced).

**Conclusions**

The implementation of GST in India in the form of a comprehensive value added tax is contingent on several key decisions. While there is clarity that the tax would

efforts should be made to keep the GST rate as low as possible. The standard rate of 18% adopted for CENVAT along with residuary rate of VAT 12.5% brings the overall rate to 28.5%, which is too high a rate compared globally. Ideally, GST rate may be kept at about 18%. We may say that if coming GST will fulfill our expectations it will turn out to be good and serving tax.

**References**

- Govinda Rao, M. (2009): "Goods and Services Tax: Some Progress towards Clarity", *Economic and Political Weekly* (December), Vol. XLIV, No. 51, pp. 9-10.
- Halakhandi, S. (2007): "Goods and Service Tax — An Introductory Study", *The Chartered Accountant* (April), p. 1585.
- Kishore Rao, R. (2008): "Working Paper on Goods and Services Tax for India", *National Institute of Public Finance and Policy*, New Delhi (November).
- Podder, S. & Ahmad, E. (2009): "GST Reforms and Intergovernmental Considerations in India", *Department of Economic Affairs*, Ministry of Finance, Govt. of India (March).
- [www.fmmni.nic.in](http://www.fmmni.nic.in)
- [www.taxguru.in](http://www.taxguru.in)
- [www.bdoindia.co.in](http://www.bdoindia.co.in)

the management accountant, July 2010

368

14:47  
06-05-2017

## 7. सी. एम .ए . में रिफरेन्स

ICAI - The Institute of Chartered Accountants of India

www.icai.org/new\_post.html?post\_id=4334

The Institute of Chartered Accountants of India (Setup by an Act of Parliament)

Google+

Search: Follow us

Home | e-Services | e-Sahaayataa | Feedback | Contact Us | Web Mail

Overview Departments Members Students Industry Resources Showcase Other Imp. Links FAQs ICAI Gold Cup

Interview of CA. Uttam Prakash Agarwal, President, ICAI with CA. Sudhir Halakhandi, Writer, Taxmann Magazine

Share this page: [Twitter](#) [Google+](#) [Facebook](#) [LinkedIn](#) [Email](#)

president\_interview270409

**Students**

- › BoS Knowledge Portal
- › BoS Announcements
- › Become an Accounting Technician
- › e-Sahaayataa
- › 100 hours IT Training
- › Examinations
- › e-Services

**Members**

- › Know Rules & Regulations
- › Post-Qualification Courses
- › Generously Contribute to CABF
- › Know the CPE Hours credit status
- › Member Card (Trace a Member)
- › My Profile Details
- › e-Sahaayataa
- › Examinations
- › Empowerment
- › e-Services
- › Become Examiner with ICAI
- › Other Imp. Links

**Employers**

- › Understand benefits that you get/Register as an employer
- › Upload Jobs & Training Assignments/Review CVs/Shortlist Applications/Search for Professional Assistance

**Resources**

- › Download Standards
- › View Notifications
- › Look up Guidance Notes & Interpretations
- › Find Publications
- › Free Download - Publications
- › Visit the ICAI Digital Library
- › Committees Pages
- › Other Useful Links

**Events**

- › View Committee Events
- › Look up CPE Events in my location
- › Sign up for an Event
- › Report on an Event
- › Photo Gallery

15945CPT V14P7-...pdf

Show all

Search the web and Windows

15:13  
06-05-2017

## 8. On ICAI site



## 9. Interview with ICAI President

The screenshot shows a web browser displaying an article titled "SUDHIR SIR KI CLASS - VAT" on the CAClubindia website. The page includes links to enComply, KPMG, and Zoho Books, and features a sidebar for "Popular Picks".

## 10. Sudhir Sir Kee Class – VAT

G Bangladesh Chamber of SR file:///C:/Users/Sudhir%20Halakhandi/Downloads/ijrcm-3-IURCM-3.vol-7\_2017\_issue-03.pdf

and seminars.

3. The GST is a destination based tax, not the origin one. In such circumstances, it should be clearly identifiable as to where the goods are going. This is difficult in case of services, because it is not easy to identify where the service is provided, thus this should be properly dealt with.
4. A single tax is also preferable than VAT which sets out taxable events.

Sooner or later this change will be knocking our doors, for its success and our betterment and growth we need to be well rehearsed with our knowledge for its better implementation. Looking forward for its success and many more challenges coming ahead. Hoping for India to move slowly towards the worldwide taxation and corporate management practices.

**REFERENCES**

1. Datey, V.S.,2005, *Handbook on Guide to Excise Law*, New Delhi, Taxmann Publications.
2. Datey, V.S.,2008, *Central Excise Law & Practice*, New Delhi, Taxmann.
3. Datey, V.S.,2009, *Central Excise Ready Reckoner*, New Delhi, Taxmann.
4. Gurukar, S.,2009, *Central Excise Circulars Selection Series*, New Delhi, Nihali Publication.
5. Jain, R.K.,2006, *Central Excise Law Manual with Service Tax Ready Reckoner*, New Delhi, Centax Publications.
6. Jain, R.K.,2006, *Central Excise Tariff of India with its Commodity Index*, New Delhi, Centax Publications.
7. Reddy, P.Venka & Mamatha, P.,2009, *Effective CGST Circulars On Central Excise Customs and Service Tax*, New Delhi, Nihali Publication.
8. Sarangi, G.,2009, *Central Excise Guide for Small Scale Industry*, New Delhi, Centax Publications.

**WEBSITES**

9. "1991 GST Introduced: A new tax on consumption." Government of Canada. 17 May, 2006. 22 June, 2006.
10. Gangadharan, V.2005, Goods And Service Tax - A Consumption Based Destination Tax, "[online]" Available http://www.articlebase.com/advertising-art-articles/goods-and-service-tax-a-consumption-based-destination-tax-16167.html
11. Goods and Services Tax Harmonized Sales Tax (GST/HST)." Canada Revenue Agency. 22 June, 2006. 1 August, 2006.
12. "GST: An overview of some alternatives." Government of Canada. December 1993. 21 June, 2006.
13. Halakhandi, Sudhir.,2008, "Good and Service Tax, Taxpayer", [online], Available http://www.caclubindia.com/articles/goods-and-service-tax-ca-sudhir-halakhandi-3576.asp
14. "How the GST/HST works." Canada Revenue Agency. 22 June, 2006. 4 July, 2006.
15. Ramaa & Advocate, Venkatesh 2007, Service Tax in India, "[online]" Available http://www.hg.org/article.asp?d=4850
16. "The Goods and Service Tax: The Governments Administration Costs." Government of Canada. February 1994. 21 June, 2006.
17. "The Goods and Services Tax: 10 Years Later." Government of Canada.15 June, 2000. 21 June, 2006.

**INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, ECONOMICS & MANAGEMENT** 44  
A Monthly Double-Blind Peer Reviewed (Refereed/Juried) Open Access International e-Journal - Included in the International Serial Directories  
<http://ijrcm.org.in/>

**VOLUME NO. 7 (2017), ISSUE NO. 03 (MARCH)** **ISSN 2231-4245**  
THE CALENDAR-MONTH ANOMALY AND THE INDIAN STOCK MARKET: EVIDENCE FROM BSE

Search the web and Windows

## 11. Reference in research paper

TIOL - One Stop Destination

www.taxindiaonline.com/RC2/print\_story.php?newsid=11164

**Click to Print** **Click to Close**

**Tax administration of dual GST - Why not in single hand?**

**JULY 27, 2010**

**By Sudhir Halakhandi, CA**

**IN** the Federal system of Governance the National GST was a very remote possibility which was rejected by the states immediately after introduction of the concept of Goods and service tax in our country i.e. in 2006 when Mr. P. Chidambaram, the then Finance Minister of India introduced GST in his budget speech. Let us see the first introduction of GST in 2006 by the Finance Minister Mr. P. Chidambaram:-

*"It is my sense that there is a large consensus that the country should move towards a National Level Goods and Service Tax (GST) that should be shared between the Centre and the states. I propose that we set April 1, 2010 as the date of introducing GST. World over, Goods and Services attract the same rate of Tax. This is the foundation of GST. People must get used to this idea of a GST. We must progressively converge the service tax rate and Central rate. I propose to take one step this year and increase the service tax rate from 10 per cent to 12 per cent. Let me hasten to add that since service tax paid can be credited against service tax payable or excise duty payable, the net impact will be very small."*

The statement was shocking for the empowered committee of state Finance Ministers and soon thereafter, due to their opposition to national GST, it was settled that "Dual GST" can only be introduced in India and now after release of Discussion paper by EC of A Finance Ministers of A states and also the report of 13th Finance Commission it is clear the Goods and service Tax whenever it will be introduced in India will be a Dual GST in which both the centre and the State will impose and collect tax on the same transaction.

Still there are differences between the states and the centre on the basics of the GST and major differences are related to the rate of tax both under SGST and CGST-dual or single rate- states are demanding lower rate for essentials, the threshold limit for CGST - states are demanding 1.50 crores (equal to Central excise exemption limit) but centre is of the view that both the threshold- under SGST and CGST should be maintained at Rs. 10 Lakhs, the matter of the purchase tax and last but not the least the matter of compensation from centre to the states. As far as the matter of Tax rate is concerned, it is very much difficult matter to be settled because states are demanding dual rate of tax and they are right on their part also because if the essential goods like - Wheat, rice, iron and steel, cotton, yarn etc. are taxed with other material and goods then it will very much difficult to justify the socio - economic utility and viability of GST.

These problems are discussed so many times and in every meeting of the states with the centre but one more severe problem which has not been discussed yet is related to "administration of the Goods and Service tax" and see at present the dealers registered under the State VAT Act are too much in number compared to the number of dealers registered under the Central excise or service tax and the ratio of difference is almost 1:20.

Now when dual GST is being imposed and further if the threshold limit is increased to 10 Lakhs instead of 1.50 crores for CGST then all the dealers registered under the State VAT Act will be liable to pay CGST and the dealers registered under the Central excise or service tax will be liable to pay SGST.

Search the web and Windows

## 12. on Taxindiaonline.com

সমাপ্ত

- সুধীর হালাখণ্ডী -

জি.এস.টি.- সী.এ . সুধীর হালাখণ্ডী 65